DISTRICT PRIMARY EDUCATION PROGRAMME
TONK

RAJASTHAN

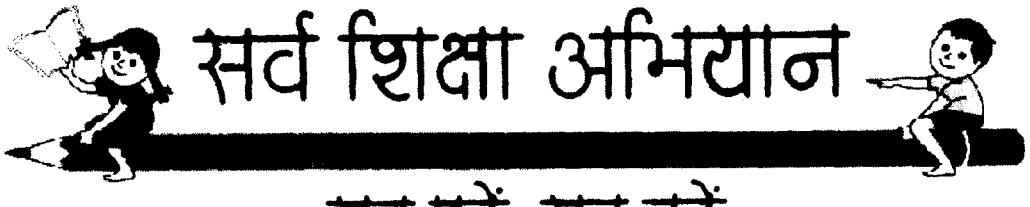

सब पढ़ें सब बढ़ें

टोंक

सर्व शिक्षा अभियान

SARVA SHIKSHA ABHIYAN

PLAN & BUDGET
2003–2007

DISTRICT - TONK

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg.
New Delhi-110016
DOC. No.....
Date.....

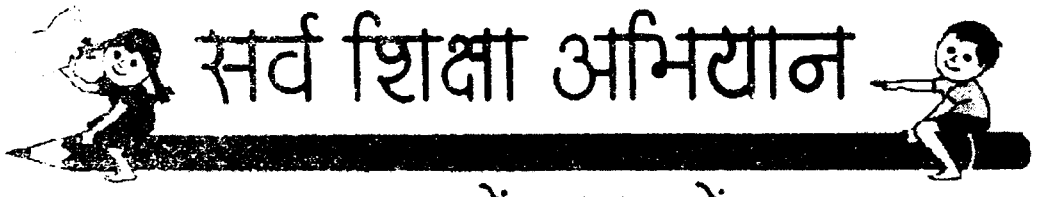

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

<u>विषय सूची</u>

जिला परिदृश्य

शैक्षिक परिदृश्य

योजना प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान क्या है ?

पहुंच और ठहराव

गुणवत्ता

. विशिष्ट फोकस समुह

अनुसंधान मूल्यांकन प्रबन्धन एवं प्रावधान

प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षयति विकास

निमार्ण कार्य

लागत मूल्यांकन

बार्षिक कार्ययोजना 2003–2004

वार्षिक कार्य योजना सर्व शिक्षा अभियान सत्र 2002–2010

सर्व शिक्षा अभियान क्रियान्वयन **2002–2010**

सर्व शिक्षा अभियान

परियोजना 2002–2010

जिला – टोंक

निर्देशन

ए0के0 हेमकार	अश्विनी भगत
निदेशक	जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष
राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद	डी0पी0ई0पी0 टोंक
जयपुर	

परामर्शदाता

रमेश चन्द शर्मा
सहायक निदेशक योजना
रा0प्रा0शिक्षा परिषद, जयपुर
नवल सिंह राठौड़
जिला परियोजना समन्वयक
डी0पी0ई0पी0 टोंक
योजना निर्माण
मोहन सिंह सोलंकी
सहायक परियोजना समन्वयक
डी.पी.ई.पी. टोंक

अध्याय – 1

जिला परिदृश्य

1.1 भूमिका – राजस्थान में आजादी से पूर्व विभिन्न राजपूत रियासतों में टोंक भी एक परगना रहा है। अनेक राजपूत राजाओं एवं रियासतों का अंग रहते हुए इसके अनेक रूप सामने आये है। अन्त में यह नवाब अमीर खॉ के अधिकार में आया।अंग्रेजों ने सैनिक एवं सामरिक दृष्टि से प्रथम नवाब अमीर खान को एक ही स्थान पर साम्राज्य न देकर विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए भूखण्ड पर कब्जे दिये । जिसमें टोंक, छबडा, निम्बीडा, पिडावा, चिरोंज इत्यादि परगने उनके अधिकार क्षेत्र में दिये।टोंक अपने वर्तमान स्वरूप में भूतपूर्व टोंक रियासत मालपुरा की निजामत उनियारा ठिकाना (भूतकालीन जयपुर रियासत का अंग) स्वतंत्र रियासत लावा एवं बूंदी जिले के 32 गांव एवं अजमेर रियासत का देवली खास्स इत्यादि को समाहित करके अस्तित्व में आया है । इसकी सामाजिक राजनैतिक एवं ऐतिहासिक पृष्टभूमि के कारण यहां अनेक जाति धर्म सम्प्रदाय इत्यादि की एक मिश्रित संस्कृति अपने अस्तित्व को बनाये हुए हैं । यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। 25.41 डिग्री एवं 26.34 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश तथा 75.07 एवं 76.19 डिग्री पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस जिले की सीमा उत्तर में जयपुर दक्षिण में बूंदी एवं भीलवाडा पश्चिम में अजमेर और पूर्व में सवाईमाधोपुर जिले से मिलती है ।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – प्राचीन काल में अकबर महान के शासन के दौरान टोरी और टोंकरा जिला जयपुर के राजा मानसिंह के द्वारा जीता गया था । 1643 ई.में टोंक टोंकरा जिले के 12 गांव एक ब्राहमण को जागीर के रूप में दिया गया था । बाद में सवाई जयसिंह ने इसे भावसिंह सोलंकी को सौंप दिया जिसकी पुत्री से उसने शादी की । 1804

में टोंक व रामपुरा को अंग्रेजों ने विजय किया ! 1806 में इस जिले की बागडोर अमीर खां के पास आई जिसे सन् 1817 में एक संधि के द्वारा अमीर खां को पूर्ण रूप से सुपुर्द कर दिया गया । अंग्रेजों को नवाब की वीरता से भय उत्पन्न होने के कारण उन्होनें नवाब की शक्ति को विकेन्द्रित करने की दृष्टि से दूर–दूर कई परगनों का शासन सौंपा जिनमे सिरोंज, पीडावा, छबड़ा, नीमाहेडा आदि परगने मुख्य थे । जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं । टोंक अपने वर्तमान स्वरूप में भूतपूर्व टोंक रियासत मालपुरा की निजामत उनियारा ठिकाना स्वतंत्र लावा राज्य अजमेर मेरवाडा की देवली एवं बूंदी के 29 ग्राम जयपुर रियासत की निवाई मालपुरा एवं टोडारायसिंह की रियासतें सम्मिलित कर अस्तित्व में आया ।

1.3 भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु :– टोंक जिले का भौगोलिक धरातल समतल एवं पतंगाकार है । समुद्र तल से उंचाई 264.32 मी.है । बनास नदी जिले को दो भागों में विभाजित करती है । जिले का सामान्य ढलान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है । भूमि रेतीली परंतु उपजाऊ है । अरावली पर्वत श्रृंखलाएं भी यहां–वहां फेली हुई है । जिले की जलवायु शुष्क एवं स्वास्थ्यवर्धक है । जिले का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से 17.5 डिग्री तथा अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री से 40 डिग्री सेंटिग्रेड रहता हैं । इस जिले में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है।

उद्योग धन्धे :– जिला औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछडा हुआ है । इसका प्रमुख कारण जिले का रेलवे लाईन से नहीं जुडा होना है । यहां के प्रमुख उद्योग धन्धों में नमदाकदरी,निवार एवं बीडी बनाने का है । महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से कताई,बुनाई,बीडी बनाना आदि कार्य संपादित किये जाते हैं । आम जनता की आर्थिक

स्थिति काफी कमजोर है ।यहां पर किसी प्रकार का बडा उघोग नहीं है । जिसके कारण अधिकांश लोग विभिन्न महानगरों की ओर रोजगार के लिए पलायन करते हैं ।

संचार एवं यातायात :– राजमार्ग संख्या 12 जयपुर से जबलपुर टोंक जिले में होकर गुजरता है । टोंक जिले के तहसील निवाई से जयपुर से सवाईमाधोपुर जाने वाली ब्रोडगेज लाईन गुजरती है । टोंक जिले का दुर्भाग्य है कि आजादी के 55 सालों के बाद भी जिला इस सुविधा से अछूता रहा।

खनिज संपदा :– टोंक जिला खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न है।यहां गरनेट,कांच की मिट्टी,अभ्रक,खनिज लोहा, इमारती पत्थर आदि पाये है ।

वनस्पति :– जिले के समस्त क्षेत्रफल का 3.49 प्रतिशत क्षेत्र वनों के रूप में पाया जाता है। वनस्पति में प्रमुख रूप में प्रमुख रूप से धोक (धोकडा) खैर,खेजडा,गूगल,खिरनी,बेरी ढाक पलाश एव विभिन्न किस्म की घांस भी पाई जाती है ।

भूमि उपयोग :– जिले की मिट्टी सामान्यतः कच्छारी है । परन्तु जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग रेतीला है जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 7,16309 हैक्टेयर हैं ।

प्रशासनिक ढांचा :– टोंक जिले में जिलाधीश जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं जिला दण्डनायक है । टोंक जिलें में टोंक अलिगढ ,निवाई, मालपुरा, टोडारायसिह,देवली तहसीलें एवं सात उपखण्ड देवली, टोंक, उनियारा, निवाई, टोडारायसिह, मालपुरा,पीपलू है। जहॉ पर प्रशासनिक एवं राजस्व मामलों को निपटाने हेतु प्रत्येक उपखण्ड में एक –एक उपखण्ड अधिकारी पद स्थापित है। पंचायत राज के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला प्रमुख एवं पंचायत स्तर पर प्रधान एवं ग्राम पचायत स्तर पर सरपंच पदासीन है। जो पंचायतराज के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते है। एवं ग्रामीण विकास के कार्यों को देखते

है। जिलें में पंचायत समितियां ग्रामीण विकास के कार्यों की प्रमुख एजेंन्सीयां है। जो पंचायतराज के विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अंजाम देती है।पंचायतराज विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत पचायतराज विधेयक 73 वॉ संशोधन के द्वारा जनप्रतिनिधियों को विभिन्न विभागों जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है। उनका परिवीक्षण एवं निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार प्रदान कर सबल बनाया गया है।

समाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि :– टोंक जिला 1817 सें मुस्लिम शासकों के अधीन रहा था। तभी से यहां पर विभिन्न संप्रदाय एवं समाज के लोग परस्पर प्रेम एवं सहयोग एवं सद्भावना पूर्ण जीवन व्यतीत करते आ रहे है। यहां की मुस्लिम एवं हिन्दू जनता हमेशा आपसी भाईचारे एवं सौहार्दता से रहते आये है। एवं एक दूसरे के त्यौहारों को आपस में मिलजुल कर मनाते है। हिन्दू संप्रदाय के लोग मुस्लिम भाईयों को उनके विभिन्न त्यौहारों ईद,मोहर्रम,बारावफात, आदि त्यौहारों पर गले मिल कर मुबारकबाद देते है एवं मुस्लिम भाई भी हिन्दूओं को उनके त्यौहारों दीपावली, दशहरा, रक्षाबन्धन, होली, जन्माष्ठमी आदि पर शुभ कामनायें देते है। इस प्रकार टोंक जिला गंगा जमुना संस्कृति का एक अनुठा संगम है। टोंक जिलें में विभिन्न दर्शनीय स्थल है जिनमें डिग्गी कल्याण का मंदिर,जोधपुरिया का देवनारायण मंदिर, बिसलपुर का मंदिर, टोडारायसिह की बावडीयां, टोंक की जामा मस्जिद, हाथी भाटा, मालपुरा की जैन नसियां,आदि प्रसिद्व है। जिलें में विभिन्न मेलों के अन्तर्गत तीज ,गणगौर, हरयाली अमावस,जलझूलनी ग्यारस, देवजी का मेला, महाशिवरात्रि मेला आदि आयोजित किये जाते है।

1980 में राजस्थान सरकार द्वारा प्राचीन अरबी एवं फारसी साहित्य के संरक्षण एवं अनुसंधान हेतु टोंक मुख्यालय पर एक अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना की। यह

एशिया का सबसे बडा अरबी फारसी संस्थान है। इसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास सम्बन्धित महत्वपूर्ण पुस्तकों का संग्रह है। टोंक जिलें में बनस्थली विद्यापीठ नाम का एक महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान है। इसकी स्थापना राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री द्वारा की गई। यह शैक्षिणिक संस्थान सिर्फ महिलाओं को लिए है। यहॉ पर उनको प्रत्येक क्षेत्र यथा शैक्षणिक, चिकित्सा, वैमानिकी, यान्त्रिकी आदि का शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। देश के विभिन्न राज्यों की छात्राऐं इस शैक्षिणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने आती है। टोंक मुख्यालय से 70 कि.मी दूर मालपुरा के पास अविका नगर में राष्ट्रीय भेड एवं उन अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो एशिया का एक प्रमुख भेड उन अनुसंधान संस्थान है। यहां पर विभिन्न अनुसंधान अधिकारी भेडों एवं बकरियों की नस्ल सुधार के कार्य में लगे हुए है।

1.6 प्रशासनिक ढांचा टोंक जिले में जिलाधीश जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं जिला दण्डनायक है । टोंक जिलें में टोंक अलिगढ ,निवाई, मालपुरा, टोडारायसिह,देवली तहसीलें एवं सात उपखण्ड देवली, टोंक, उनियारा, निवाई, टोडारायसिह, मालपुरा,पीपलू है। जहॉ पर प्रशासनिक एवं राजस्व मामलों को निपटाने हेतु प्रत्येक उपखण्ड में एक --एक उपखण्ड अधिकारी पद स्थापित है। पंचायत राज के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला प्रमुख एवं पंचायत स्तर पर प्रधान एवं ग्राम पचायत स्तर पर सरपंच पदासीन है। जो पंचायतराज के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते है। एवं ग्रामीण विकास के कार्यों को देखते है। जिलें में पंचायत समितियां ग्रामीण विकास के कार्यों की प्रमुख एजेंन्सीयां है। जो पंचायतराज के विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अंजाम देती है।पंचायतराज विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत पचायतराज विधेयक 73 वॉ संशोधन के द्वारा जनप्रतिनिधियों को

विभिन्न विभागों जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है। उनका परिवीक्षण एवं निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार प्रदान कर सबल बनाया गया है।

प्रशासनिक विभाग	संख्या
उपजिला	7
खण्ड (ब्लाक)	6
तहसील	7
ग्राम	1104
ग्रम पंचायत	231
शहरी क्षेत्र	6

(जिला जनगणना रिकार्ड 2001)

1.7 जन सांख्यिकी:– इस जिले में वर्तमान में 1211343 कुल जनसंख्या है। 1991 से कुल जनसंख्या में 236337की वृद्धि हुई है। कुल जनसंख्या वृद्धि की दर 29.41 रही है। वर्तमान में महिला पुरुष अनुपात 936 पर 1000 है। जो महिला संवेदनशीलता के प्रति जागरुकता का प्रतीक है।

जनसंख्या वृद्धिदर :--खण्डवार ग्रामीण व शहरी

क्रम.स.	ब्लॉक का नाम	क्षेत्र	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	कुल वृद्धि	दस वर्षीय वृद्धिदर
1	मालपुरा	ग्रामीण	148406	176908	28502	19.21
2	टोंक	ग्रामीण	168956	204173	35217	20.84
3	निवाई	ग्रामीण	137463	171903	34440	25.05
4	टोडा	ग्रामीण	90790	110164	19374	21.34
5	देवली	ग्रामीण	135553	169249	33696	24.86
6	उनियारा	ग्रामीण	103418	132509	29091	28.13
कुल योग		ग्रामीण	784586	964906	180320	22.98

1	मालपुरा	शहरी	23643	27366	3723	15.75
2	टोंक	शहरी	100235	135663	35428	35.34
3	निवाई	शहरी	22889	31355	8466	36.99
4	टोडा	शहरी	17641	21203	3562	20.19
5	देवली	शहरी	16779	20023	3244	19.33
6	उनियारा	शहरी	9233	10827	1594	17.26
कुल योग		शहरी	190420	246437	56017	29.41
योग		ग्रामीण	784586	964906	180320	22.98
योग		शहरी	190420	246437	56017	29.41
महायोग			975006	1211343	236337	24.24

जिले का स्त्री : पुरुष अनुपात	936 : 1000
जिले का जनसंख्या घनत्व (प्रतिवर्ग कि.मी.)	168
जिले की साक्षरता दर –	52.39 प्रतिशत
साक्षरता दर (पुरुष) –	71.25 प्रतिशत
साक्षरता दर (स्त्री) –	32.30 प्रतिशत

(Source of census 2001)

जनसंख्याः–

जनसंख्या 2001

जिला टोंक (राजस्थान)

क्रम	ब्लाक	क्षेत्र	कुल जनसंख्या			0 से 6 जनसंख्या			साक्षर		
स.	का नाम		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	मालपुरा	नगरीय	14150	13216	27366	2363	2200	4563	10323	6663	16986
		ग्रामीण	90908	86000	176908	16386	15481	31867	49367	18682	68049
		योग	105058	99216	204274	18749	17681	36430	59690	25345	85035
2	टोंक	नगरीय	70135	65528	135663	12544	11495	24039	43840	28125	71965
		ग्रामीण	105688	98485	204173	19613	18286	37899	58030	17585	75615
		योग	175823	164013	339836	32157	29781	61938	101870	45710	147580
3	निवाई	नगरीय	18560	19471	38031	2946	2670	5616	13854	11517	25371
		ग्रामीण	86081	79146	165227	16584	15233	31817	49355	18639	67994
		योग	104641	98617	203258	19530	17903	37433	63209	30156	93365
4	देवली	नगरीय	10770	9253	20023	1579	1399	2978	8337	5633	13970
		ग्रामीण	87474	81775	169249	15829	14661	30490	47824	15737	63561
		योग	98244	91028	189272	17408	16060	33468	56161	21370	77531
5	उनियारा	नगरीय	5568	5259	10827	918	860	1778	3884	2191	6075
		ग्रामीण	69004	63505	132509	13214	11811	25025	38544	11660	50204

		योग	74572	68764	143336	14132	12671	26803	42428	13851	56279
6	टोडा	नगरीय	10934	10269	21203	2067	1675	3742	7703	4294	11997
		ग्रामीण	56447	53717	110164	9984	9357	19341	33534	14493	48027
		योग	67381	63986	131367	12051	11032	23083	41237	18787	60024
	योग	नगरीय	130117	122996	253113	22417	20299	42716	87941	58423	146364
	योग	ग्रामीण	495602	462628	958230	91610	84829	176439	276654	96796	373450
महायोग			625719	585624	1211343	114027	105128	219155	364595	155219	519814

(Source of census 2001)

जिलें में संचालित विभिन्न योजनाए :–

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण विकास एवं जनता की गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न योजनाऐं प्रारम्भ की गई। विशेष रूप से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के अन्तर्गत सारा ध्यान देहात गरीबी उन्मूलन और अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति के क्षेत्र के लोगो के जीवन स्तर को सुधारने पर बल दिया। इसके अन्तर्गत निम्नांकित योजनाओं को प्रारम्भ किया गया जो आज भी अनवरत रूप से जिला ग्रमीण विकास अभिकरण एवं जिला परिषद् द्वारा पूरे जिलें में संचालित की जा रही है।

सामाजिक संरक्षा योजना

जवाहर रोजगार योजना (J.R.Y) :–

यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बेरोजगार महिलाओं व पुरूषों के लिए लागु कि हैं जिनको अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा सकें। यह योजना दो योजनाओं का मिश्रित रूप है। इस योजना में लाभान्वित व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने

वाला होना चाहिए। योजना में 30 प्रतिशत रोजगार अवसर महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गये है।

इन्दिरा आवास योजना (IAY)

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति मुक्त करायें गये बन्धुआ मजदुर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य ग्रामीण जनों को आवास निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है।

ट्राईसम योजना :– 15

अगस्त 1979 को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्व रोजगार के अन्तर्गत तकनिकी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई हैं। यह योजना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा संचालित की जाती है। जिसमें युवाओं का चयन प्रशिक्षण, अनुदान , तकनिकी ज्ञान आदि की व्यवस्था इस संस्था द्वारा ही की जाती है।

स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्व रोजगार योजना (SGSY)

ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित व्यक्तियों को उनके परिवारों की कार्य क्षमता पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना कर वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवा कर रोजगार प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। प्रतिवर्ष लाभान्वित किये जाने वाले व्यक्तियों में 50 प्रतिशत एस.सी.,एस.टी., 40 प्रतिशत महिलाऐं 3 प्रतिशत विकलाँग होते है। ऋण बैंक एवं सरकारी अनुदान के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना में समूह गतिविधि पर बल दिया जाता है। एवं समूह को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

सुनिश्चित रोजगार योजना EAS ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के व्यक्तियों के लिए श्रम रोजगार की कमी के समय अतिरिक्त श्रम रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अपूर्ण कार्यों को जो सामान्यतः एक वर्ष में पूरे हो सके को प्राथमिकता दी जाती है। श्रम प्रदान कार्यो को ही कराये जाने पर बल दिया जाता है।

जवाहर ग्राम समृद्वि योजना (JGSY) :–

ग्रामीण क्षेत्र में गांव की आवश्यकता के अनुरूप ढॉचागत संसाधनों को विकसित करने ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे संसाधनों की उपलब्धता से गरीब व्यक्तियों के लिए जीवन यापन के लिए रोजगार के अवसर बढ सके । इस योजना के अन्तर्गत शत प्रतिशत राशि सीधी ग्राम पंचायतों को ही उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना में ग्राम सभाओं के माध्यम से चिन्हित किये गये कार्यों में से ही कार्य केवल ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाता है।

माडा योजना/बिखरी जनजाति योजना :– यह योजना जन जाति उपयोजना क्षेत्र के बाहर निवास कर रहे जन जाति के व्यक्तियों जिले में आदिम जन जाति के बिखरे व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों को कृषि विकास हेतु व्यक्तिगत डीजल पंप सेट वितरण एवं एनिकट का निर्माण करने हेतु अनुदानित राशि प्रदान की जाती है। ब्लास्टिग द्वारा कुए गहर करवाना , उनके बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवासीय विद्यालय स्थापित करना, जन जातीय बस्तियों में विधुतीकरण करवाना, मेघावी छात्रों को छात्रवृति , हैंण्डपम्प स्थापना एवं उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करना। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है।

8. बालिका समृद्धि योजना – इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा गर्भवती महिला के प्रथम दो बालिका के जन्म तक प्रत्येक बालिका के जन्म पर 500 रुपएं की एक मुश्त सहायता राशि उसकी माता को दी जाती है। आवश्यक बात यह है कि परिवार गरीबी रेखा से नीचे चयनित हो तथा यह लाभ प्रथम दो बालिकाओं के समय तक ही सीमित है। चाहे परिवार के बच्चों की संख्या कितनी ही हो। आवेदन सम्बन्धित ग्राम पंचायत को देना होता है। ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृति जारी की जाकर राशि का भुगतान बालिका की माता को किया जाता है।

9. राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम – राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा सभी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/अनुदानित/स्वायत्त शाषी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजीव गांधी पाठशालाओं, वैकल्पिक विद्यालयों, मदरसों व संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा सार्वजनीकरण, प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन वृद्धिकरना, विद्यार्थियों का विद्यालयों में ठहराव निश्चित करना तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है।

मध्यान्तर में प्रति बालक–बालिका 100 ग्राम घूघरी पकाकर बालक–बालिका को खिलाया जाता है। इसके पकाने, मीठा डालने, ईंधन आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा जनसहयोग से की जाती है। गेहूं वितरण का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, विकास अधिकारी पंचायत समिति एवं अतिरिक्त विकास अधिकारी प्राथमिक शिक्षा की देखरेख में किया जाता है।

10. *राष्ट्रीय* मातृत्व लाभ योजना – मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को एक मुश्त नकद सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

मातृत्व लाभ पहले दो जीवित बच्चों वाली उन गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है जिनकी आयु 19 वर्ष या उससे अधिक हो तथा यह 1997 को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवार की सूची में शामिल हो। मातृत्व लाभ प्रसव से 12 से 8 सप्ताह पहले एक ही किश्त में दिया जाता है। परन्तु यह सहायता गर्भ के उपरान्त भी देय है। यह वांछनीय हैं कि शिशु जन्म के समय शिशु की ओरल पोलियों तथा बीसीजी के टीके की एक–एक खुराक तथा छठे सप्ताह में डीपीटी और पोलियों की पहली खुराक दे दी जानी चाहिए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका/नगर निगम/नगरपरिषद में आवेदन पत्र दिये जाने चाहिए। यह लाभ दो जीवित बच्चों तक प्रत्येक गर्भ पर 500 रुपये देय है।

B- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एम.एल.ए.एल.ए.डी.) – यह योजना अप्रेल 1999 से प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर जनउपयोगी परिसम्पतियों के निर्माण करने के लिए स्थानीय विधायक की अभिशंषा पर कार्य कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत भौतिक विकास के लिए निम्न कार्य करवाये जा सकते है।

– राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए भवन निर्माण का कार्य
– पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य
– चारदीवारी का निर्माण

– स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का निर्माण

– शिक्षण सस्थाओं में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर

– राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए अध्ययन–अध्यापन सामग्री/स्काउट सामग्री/खेल सामग्री/फर्नीचर/दरी आदि का कार्य।

प्रत्येक विधानसभा सदस्य अपने–अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष 60.00 लाख रुपये तक की जनोपयोगी परिसम्पतियां निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रेषित करते है।

C- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.) – भारत सरकार द्वारा यह योजना 1993--94 में लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता आधारित विकास कार्य कर जन उपयोगी एवं टिकाऊ सम्पतियों का सृजन करना है।

इस योजना के तहत प्रत्येक प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष 2.00 करोड़ रुपये आवंटित किये जाते है। सांसद द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर प्रस्तावों का परीक्षण कर सामान्यतः 45 दिन की अवधि में स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत भौतिक विकास हेतु निम्न कार्य करवाये जा सकते है।

– विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्था के अन्य भवनों का निर्माण जो सरकार अथवा स्थानीय विकास के अधीन है।

ऐसे भवन यदि सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता किन्तु मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हों तो उनका निर्माण कराया जा सकता है।

– मान्यता प्राप्त जिला या राज्य स्तर के खेलकूद संघों की सांस्कृतिक तथा खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियों, व्यायाम केन्द्रों, खेलकूद संघों शारीरिक शिक्षा परिक्षण संस्थाओं आदि में विभिन्न कसरतों की सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी अनुमति है।

– सार्वजनिक पुस्तकालय तथा वाचनालय का निर्माण।

– शिशु गृह एवं आंगनबाड़ियों का निर्माण।

– आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों का निर्माण।

– उच्च विद्यालयों में हम क्लब की स्थापना।

– ग्रंथ सूची डाटा बेस परियोजना।

– हाई स्कूल/कालेज में कम्प्यूटर व्यवस्था।

D. माडा एवं बिखरी जनजाति कार्यक्रम – यह योजना जन जाति उपयोजना क्षेत्र के बाहर निवास कर रहे जन जाति के व्यक्तियों जिले में आदिम जन जाति के बिखरे व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों को कृषि विकास हेतु व्यक्तिगत डीजल पंप सेट वितरण एवं एनिकट का निर्माण करने हेतु अनुदानित राशि प्रदान की जाती है। ब्लास्टिग द्वारा कुए गहरे करवाना , उनके बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवासीय विद्यालय स्थापित करना, जन जातीय बस्तियों में विधुतिकरण करवाना, मेघावी छात्रों को छात्रवृति , हैण्डपम्प स्थापना एवं उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करना। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है।

माडा लघुखण्ड के गठन के लिए सम्मिलित किये गये ग्रामों की जनसंख्या 10,000 अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। इस लघु खण्ड में सम्मिलित प्रत्येक ग्राम की कुल जनसंख्या में से 50 प्रतिशत जनसंख्या जन जाति व्यक्तियों की होनी चाहिए। यह कार्यक्रम भी जिला

ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। इस योजना में भौति क विकास की निम्न योजना सम्मिलित है–

1. प्रतिभावन विद्यार्थियों को छात्रवृति – जनजाति विद्याथियों में प्रति स्पर्द्धा बढ़ाने एवं प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बोर्ड/विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रतिभावान छात्रवृति दी जाती है। कक्षा 10,12 व स्नातक परीक्षा प्रथम श्रेणी उत्तीर्णकर कक्षा 11, प्रथम वर्ष, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध में नियमित रुप से अध्ययनरत होने पर ही 2500 रुपये (250 रुपये की दर से 10 माह हेतु) एक मुश्त छात्रवृति का लाभ देय है। छात्रवृति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के माध्यम से अभिकरण को आवेदन प्रस्तुत किये जाते है। अभिकरण आवेदन पत्रों की जांचकर स्वीकृति जारी कर राशि विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को भेज दी जाती है। संस्था प्रधान द्वारा सम्बन्धित विद्यार्थियों को राशि का भुगतान कर उनकी रसीद प्राप्त कर ली जाती है।

शैक्षिक परिदृश्य

टोंक जिला नवाबों की नगरी रही है । यहां की शैक्षिक पृष्ठभूमि मदरसों की रही है। यहां का खलीलिया मदरसा जिसमें टोंक एवं देश के नहीं अपितु विदेशी छात्रों ने तालिम हांसिल की है । इसी तरह बालिका शिक्षा के लिए विश्वविख्यात वनस्थली विद्यापीठ भी टोंक जिले में विद्यमान है । 1980 में राजस्थान सरकार द्वारा प्राचीन अरबी एवं फारसी साहित्य के संरक्षण एवं अनुसंधान हेतु टोंक मुख्यालय पर एक अरबी फारसी शोध सेस्थान की स्थापना की। यह एशिया का सबसे बडा अरबी फारसी संस्थान है। इसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास सम्बन्धित महत्वपूर्ण पुस्तकों का संग्रह है। टोंक जिलें में बनस्थली विद्यापीठ नाम का एक महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान है। इसकी स्थापना राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्व. हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई। यह शैक्षणिक संस्थान सिर्फ महिलाओं को लिए है। यहॉ पर उनको प्रत्येक क्षेत्र यथा शैक्षणिक, चिकित्सा, वैमानिकी, यान्त्रिकी आदि का शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। देश के विभिन्न राज्यों की छात्राऐं इस शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने आती है।

साक्षरता दर :–टोंक जिले में साक्षरता दर 52.39 प्रतिशत है जिसमें से पुरूष साक्षरता दर 71.25 एवं महिला साक्षरता दर 32.30 प्रतिशत है ।

जिले का स्त्री : पुरूष अनुपात	936 : 1000
जिले का जनसंख्या घनत्व (प्रतिवर्ग कि.मी.)	168
जिले की साक्षरता दर –	52.39 प्रतिशत
साक्षरता दर (पुरूष) –	71.25 प्रतिशत
साक्षरता दर (स्त्री) –	32.30 प्रतिशत

टोंक जिले में शैक्षिक सुविधाऐं निम्न प्रकार से है :–

शैक्षिक सुविधाएं

खण्डवार शैक्षिक सुविधाऐं वर्ष:– 2002.03

जिला :– टोंक

ब्लॉक	पंचायत समिति	प्रार.शिक्षा			संस्कृत			वै.विद्यालय				प्राइवेट	
	प्रा.वि.	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	रा.गा.पा.	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	शि.क.	6 घंटे	4 घंटे	मदरसा	ब्रिज कोर्स	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.
टोडा	86	6	43	25	2	2	7	8	22	1	0	20	10
उनियारा	93	4	44	80	1	1	0	16	16	0	3	15	24
देवली	105	4	51	32	0	1	0	43	41	2	0	50	18
निवाई	133	5	55	71	2		16	43	23	4	0	28	50
मालपुरा	98	9	49	76	3	0	23	23	29	11	2		
टोंक	131	23	75	55	6	2	14	32	68	22	0	55	58
योग	646	51	317	339	14	6	60	165	199	40	5	168	160

2.4 नामांकन

कक्षावार जातिवार नामांकन

कक्षा	अनु.जाति			अनु.ज.जा.			अ.पि.वर्ग			सामान्य			कुल		
	बि	जी	टी	बी	जी	टी	बी	जी	टी	बी	जी	टी	बे	जी	टी
I	8479	9098	17577	5953	7628	13581	18934	26756	45690	5386	5778	11164	38752	49260	88012
II	5638	5280	10918	3831	3175	7006	14136	11367	25503	3456	3319	6775	27061	23141	50202
III	4576	3188	7764	2866	1897	4763	10141	6278	16419	2677	2549	5226	20260	13912	34172
IV	3678	2354	6032	2507	1322	3829	8648	4336	12984	2296	2122	4418	17129	10134	27263
V	3047	1609	4656	2041	867	2908	6666	2788	9454	2107	1838	3945	13861	7102	20963
योग कक्षा 1 से 5	25418	21529	46947	17198	14889	32087	58525	51525	110050	15922	15606	31528	117063	103549	220612
VI	2620	727	3347	1777	587	2364	4582	1676	6258	1855	1438	3293	10834	4428	15262
VII	2173	576	2749	1561	459	2020	4406	1396	5802	1760	1130	2890	9900	3561	13461

VIII	2052	474	2526	1242	382	1624	3901	980	4881	1863	1150	2813	3858	2986	11844
योग कक्षा 6 से 8	6845	1777	8622	4580	1428	6008	12889	4052	16941	5278	3718	8996	29592	10975	40567
योग कक्षा 1 से 8	32263	23306	55569	21778	16317	38095	71414	55577	126991	21200	19324	40524	146655	114524	261179

2.6 सकल नामांकन अनुपात

क0सं0	विवरण	जनसंख्या 6–14	नामांकन 1–8	सकल नामांकन अनुपात
01	बालक	134790	139150	103.23
02	बालिका	121495	87117	81.91
03	योग	241149	226267	93.83

तालिका को देखने के बाद स्पष्ट होता है कि बालको का सकल नामांकन अनुपात 103.23 प्रतिशत है । बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 81.91 प्रतिशत है।

2.7 ठहराव दर

क्र0सं0	विवरण	1994 में कक्षा 1 में नामांकन	2001–02 में कक्षा 8 में नामांकन	ठहराव दर
01	बालक	26846	7631	28.43
02	बालिका	12193	2387	19.58
03	योग	39039	10018	25.66

अध्यापको का विवरण

ब्लॉक	प्रा.वि.			उ.प्रा.वि.			रा.मा.पा.			शि.क.			संस्कृत			वै.वि.			कुल		
	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
टोंक	275	171	446	362	126	488	56	3	59	38	7	45	17	2	19	83	30	113	831	339	1170
निवाई	222	91	313	253	77	330	79	3	82	20	6	26	3	0	3	61	6	67	638	183	821
देवली	221	96	317	258	86	344	37	4	41	0	0	0	1	0	1	72	12	84	589	198	787
उनियारा	174	37	211	179	60	239	82	2	84	0	0	0	7	1	8	29	3	32	471	103	574
मालपुरा	260	103	363	270	54	324	80	6	86	51	9	60	3	2	5	49	13	62	713	187	900
टोडारायसिंह	178	48	226	235	44	279	22	3	25	11	6	17	11	0	11	26	4	30	483	105	588
योग	1330	546	1876	1557	447	2004	356	21	377	120	28	148	42	5	47	320	68	388	3725	1115	4840

जातिवार वर्गीकरण

क्र.सं.	ब्लॉक	एससी			एसटी			अन्य			कुल		
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1	टोंक	110	46	156	31	11	42	690	282	972	831	339	1170
2	थनवाई	136	18	154	94	1	95	408	164	572	638	183	821
3	छेवली	128	24	152	109	24	133	352	150	502	589	198	787
4	उनियारा	72	8	80	137	8	145	262	87	349	471	103	574
5	मलपुरा	82	35	117	6	3	9	625	149	774	713	187	900
6	टोडारायसिंह	71	5	76	26	5	31	385	96	481	482	106	588
	योग	599	136	735	403	52	455	2722	928	3650	3724	1116	4840

2.10.2 शिक्षको का कक्षानुसार विभाजन

खंडाल द	1. अध्यापक	2. अध्यापक	3. अध्यापक	4. अध्यापक	5. अध्यापक	6. अध्यापक	7. अध्यापक	8. अध्यापक	8. अध्यापक से अधिक
प्रा.वि.	21	575	142	74	57	35	10	9	0
उ.प्रा.वि.	1	8	9	38	61	181	102	122	75
रा.मा.वि.	230	54	0	0	0	0	0	0	0
अन्य	174	30	22	5	0	1	0	0	0
योग	486	667	173	117	118	215	112	131	75

2.11 **निजी क्षेत्र के विद्यालय** – जिले में निजी क्षेत्र के विद्यालयों ने भी एक अच्छा नेटवर्क स्थापित कर रखा है। प्राथमिक विद्यालय जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में स्थापित है और शत–प्रतिशत नामांकन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहें है।

निजी क्षेत्र के विद्यालय इस प्रकार है :–

प्राथमिक विद्यालय – 205

उच्च प्राथमिक विद्यालय – 181

2.12–जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानः–जिले में प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षको को शिक्षण की नवीन विधाओं एवं नवाचारो की जानकारी देने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला मुख्यालय पर स्थित है । राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के निर्देशन में शिक्षको के शैक्षिक संबलन का महत्वपुर्ण दायित्व निर्वहन करने वाले इस संस्थान में शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक सुविधाओं एवं भौतिक संसाधनो का नितांत अभाव है । इस संस्थान को सशक्त बनाए जाने एवं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षको बेहतर प्रशिक्षण आयोजित करने का दायित्व डाईट के माध्यम से करवाए जाने का प्रावधान रखा गया है ।

2.13 विद्यालयो की भौतिक स्थिति :–विद्यालयों की वर्तमान भौतिक सुविधाओं की स्थिति एवं उस विद्यालय में नामांकित बालक/बालिकाओं की संख्या के आधार पर अति.कक्षा कक्ष,चारदिवारी,शौचालय,भवन रहित विद्यालय, भवन का निर्माण कराया जायेगा । इस प्रकार जिले में निम्नांकित तालिकानुसार भौतिक सुविधायें प्रदान की जायेगी । ये सभी सुविधायें जिले के सभी प्रा.वि./उ.प्रा.वि./रा.गा.पा./वै.पाठशालाओं में दी जायेगी ।

S.N.	NAME OF ACTIVITIES	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	Construction of School Building (Two Rooms)	10	16	20	20	0	0	0
2	Construction of School Building (Three Rooms) for Ps,Ups,RGSJP,AS	24	39	8	32	0	0	0
3	Toilets	86	100	100	100	0	0	0
4	Handpump/ Tanka	20	50	100	100	0	0	0
5	PHED Connections	0	0	0	0	0	0	0
6	Ramps	0	0	0	0	0	0	0
6	Construction of BRC	0	0	0	0	0	0	0
7	Construction of CRC	0	0	0	0	0	0	0
8	Boundary Wall	1	1	1	1	0	0	0
9	Minor Repairs	25	50	50	50	0	0	0
10	Major Repairs	25	50	50	50	0	0	0
11	Additional Class Room in UPS	50	100	125	150	0	0	0
12	H.M. Room In UPS	25	50	50	98	0	0	0

2.14 प्रा.शि. का प्रशासनिक ढांचा :–

जिले में प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन के दो स्तर है ग्रामीण क्षेत्रो के प्राथमिक विद्यालय पंचायत राज विभाग के अधीन हे वहीं शहरी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा ग्रामीण उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित है । शैक्षणिक प्रबधंन जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रणाधीन है । जिला एव ब्लॉक शिक्षा अधिकारी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं जिला परिषद् तथा पचांयत समितियां,पचांयत राज विभाग के अधीन है ।प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार है ।

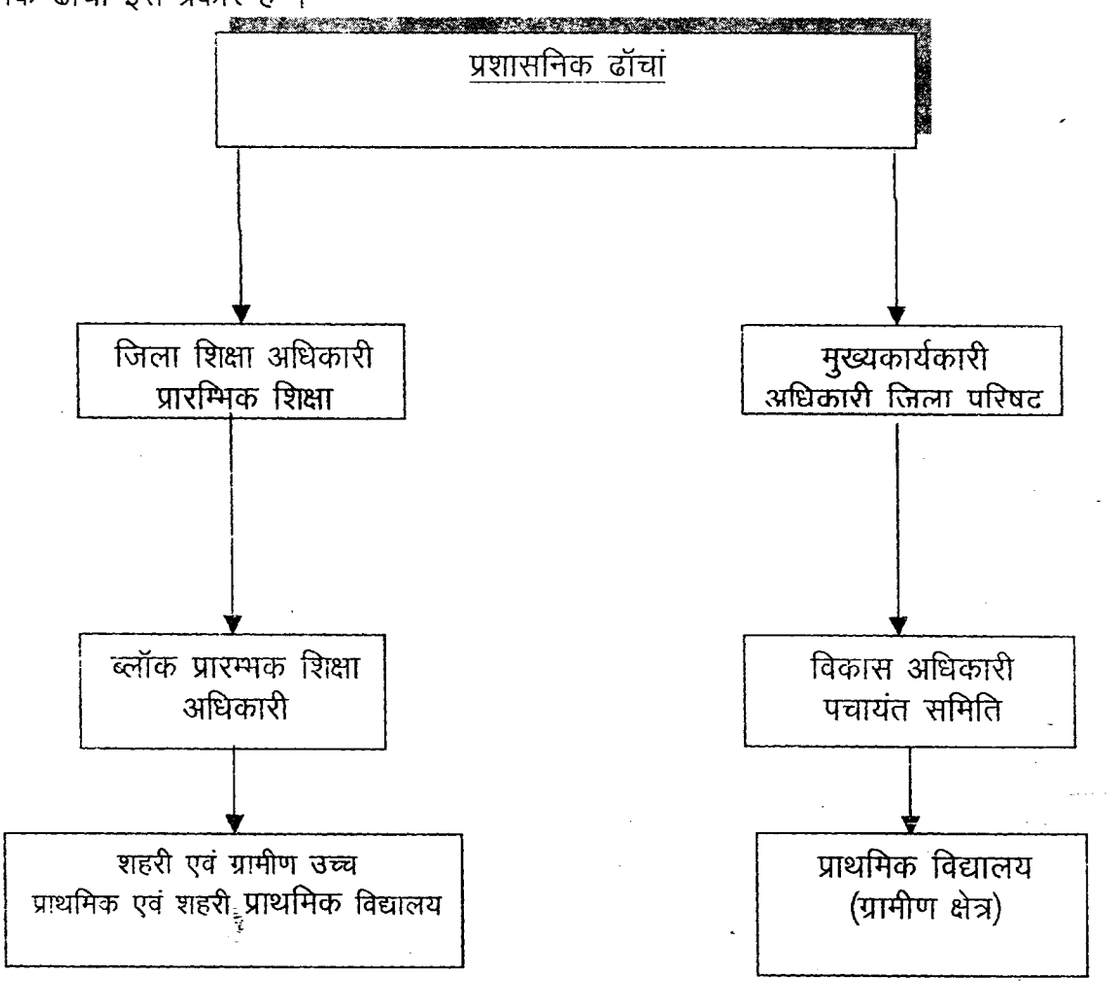

2.15 अन्य योजनाएं:–

(क)जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) जिले में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के अन्तर्गत 6से 14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन, अधिकतम ठहराव एवं शिक्षा की गुणवता में सुधार के साथ –साथ शिक्षण संस्थाओं एवं शिक्षा तन्त्र के सुदृढीकरण के मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु टोंक जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी. पी.ई.पी.) वर्ष 1999 से प्रारम्भ किया गया है । इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के वचिंत एवं पिछड़े वर्ग के बालक बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने एवं ठहराव तथा उपलब्धि के क्षेत्र में अन्तर को 15 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है । शैक्षिक संबलन, बाल केन्द्रित व क्रिया आधारित आनन्ददायी शिक्षा प्रणाली लागु करने के साथ साथ बालिका शिक्षा पर विशेष प्रयास किये जा रहे है। विद्यालयों में भौतिक संसाधनो की उपब्धता, भवन निर्माण एवं मरम्मत के कार्य भी इस कार्यक्रम के माध्यम से करवाये जा रहे है।

(ख) एकीकृत बाल विकास योजना:–(आई.सी.डी.एस.):–

जिला महिला एवं बाल विकास के माध्यम से जिले में 746 आंगन बाड़ी केन्द्र संचालित है । इन केन्द्रो पर महिलाओं के नियमित स्वास्थ्य परिक्षण के अतिरिक्त 0से 6 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2000 से इन केन्द्रो को डी.पी.ई. पी.के माध्यम से संबलन प्रदान कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के प्रयास किये जा रहे है। केन्द्रो पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नियुक्त कार्यकर्ताओ को अतिरिक्त मानदेय प्रशिक्षण दिया जाकर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए सशक्त बनाया जा रहा है ।

(च) शिक्षा आपके द्वारः–

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु जिले में शिक्षा आपके द्वार नामक अभियान का प्रथम चरण शत प्रतिशत नामांकन के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया ।

(छ) समाज कल्याण विभागः–जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्ग तथा विकंलाग बालक बालिकाओं को छात्रवृतियां उपलब्ध करवाई जाती है। इन वर्गो के छात्र–छात्राओं की शिक्षण सुविधा के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास चलाये जा रहे है।

शिक्षा विभाग के माध्यम से आयकर नही देने वाले अभिभावको के आश्रितो को छात्रवृत्ति दी जाती है। पूर्व सैकण्डरी छात्रवृत्ति में कक्षा 6 से 8 तक पढने वाले छात्रो को 15 रूपये प्रतिमाह व छात्राओ को 20 रूपये प्रतिमाह दिया जाता है।

स्वच्छकार छात्रवृत्ति शौचालय की सफाई करने वाले चमडा उतारने वाले एवं सफाई कार्य से जुडे व्यक्तियो को छात्रवृत्ति देय है। कक्षा 1से 5 तक 25 रूपये प्रतिमाह तथा 6 से 8 तक 40 रूपये प्रतिमाह देय है। अनुदान प्रत्येक छात्र को 500 रूपये तदर्थ अनुदान देय है।

विकलांग कल्याण योजना – शिक्षण संस्थानो में नियमित अध्ययन करने वाले छात्र जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 40000 रूपये से अधिक नही हो उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 1 से 4 तक 40 रूपये प्रतिमाह तथा 5 से 8 तक 50 रूपये प्रतिमाह दी जाती है। विकलांगो को निःशुल्क कृत्रिम उपकरण दिये जाते है।

योजना प्रक्रिया :–

3.1 भूमिका :– सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा का पहला महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शैक्षिक अभियान है यह केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है इसके अन्तर्गत नीचे से योजना की प्रक्रिया अपनाई गयी है इसमें ग्राम स्तर की योजनाओं का विकास खण्ड़ स्तर पर संग्रहीत करके जिले की शैक्षिक योजना तैयार करने हेतु जिला स्तर पर जिलें की सहभागिता प्राप्त की गयी है जिला की योजना तैयार करने हेतु योजना समिति का गठन निम्न स्तरों पर किया गया :–

(अ) जिला स्तरीय वमितिः–

1. जिला प्रमुख
2. जिला परिषद की शिक्षा समिति के सदस्य
3. जिला कलक्टर
4. परियोजना निदेशक, विकास
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
6. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
7. जिला परियोजना समन्वयक (ड़ी.पी.ई.पी.)
8. सेवानिवृत शिक्षाविद् (2)
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी
10. सचिव,सतत शिक्षा एवं साक्षरता समिति
11. प्रधानाचार्य डाइट
12. संदर्भ समूह के सदस्य
13. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अधिकारी

इस समिति ने 6.11.2001 से "शिक्षा आपके द्वार" जो सर्वशिक्षा अभियान का एक भाग है, विभिन्न समस्याओ के बारे में व्यूह रचना तय कि गई। इस समिति ने राज्य स्तर से प्राप्त

निर्देशों के अनुसार जिले में संचालित विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए योजना का निर्माण किया।

(ब) ब्लॉक स्तरीय समिति :–

जिले की विभिन्न पंचायत समितियों पर इन समितियों का गठन किया गया जिनके द्वारा इस अभियान (बुझलप) के अन्तर्गत आई हुई विभिन्न समस्याओं एवं मुद्दों पर कार्य शालाएँ आयोजित की गई। इस समिति में निम्न सदस्य है –

1. प्रधान – अध्यक्ष
2. विकास अधिकारी – पं.स.
3. पंचायत समिति की शिक्षा समिति के दो सदस्य
4. ब्लॉक सन्र्दभ केन्द्र प्रभारी ड़ी.पी.ई.पी.
5. प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय

विशेष आगन्तुक

6. सी.ड़ी.पी.ओ.
7. ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी
8. सेवानिवृत अध्यापक

ब्लॉक स्तरीय समिति निम्न लिखित काम करेगी :–

1. अभियान का क्रियान्वयन एवं प्रगति का प्रबंधन एवं व्यूह रचना एवं गतिविधियों का विश्लेषण ।
2. ब्लाक को संकुलों में अभियान के सुचारू रूप से क्रियान्वन हेतु बांटना।
3. आवश्यकता आधारित नियोजन का यथावत क्रियान्वन।
4. आंकड़ो एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण।
5. चिकित्सा विभाग के सहयोग से ब्लॉक के विद्यालयों में बच्चों के लिए स्वास्थ शिविरों का आयोजन।

योजना प्रक्रिया :–

3.1 भूमिका :– सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा का पहला महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शैक्षिक अभियान है यह केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है इसके अन्तर्गत नीचे से योजना की प्रक्रिया अपनाई गयी है इसमें ग्राम स्तर की योजनाओं का विकास खण्ड़ स्तर पर संग्रहीत करके जिले की शैक्षिक योजना तैयार करने हेतु जिला स्तर पर जिलें की सहभागिता प्राप्त की गयी है जिला की योजना तैयार करने हेतु योजना समिति का गठन निम्न स्तरों पर किया गया :–

(अ) जिला स्तरीय वमितिः–

1. जिला प्रमुख
2. जिला परिषद की शिक्षा समिति के सदस्य
3. जिला कलक्टर
4. परियोजना निदेशक, विकास
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
6. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
7. जिला परियोजना समन्वयक (ड़ी.पी.ई.पी.)
8. सेवानिवृत शिक्षाविद् (2)
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी
10. सचिव,सतत शिक्षा एवं साक्षरता समिति
11 प्रधानाचार्य डाइट
12 संदर्भ समूह के सदस्य
13 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अधिकारी

इस समिति ने 6.11.2001 से "शिक्षा आपके द्वार" जो सर्वशिक्षा अभियान का एक भाग है, विभिन्न समस्याओ के बारे में व्यूह रचना तय कि गई। इस समिति ने राज्य स्तर से प्राप्त

निर्देशों के अनुसार जिले में संचालित विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए योजना का निर्माण किया।

(ब) ब्लॉक स्तरीय समिति :–

जिले की विभिन्न पंचायत समितियों पर इन समितियों का गठन किया गया जिनके द्वारा इस अभियान (बुझलप) के अन्तर्गत आई हुई विभिन्न[2] समस्याओं एवं[2] मुद्दों पर[2] कार्य[2] शालाएँ आयोजित की गई। इस समिति में निम्न सदस्य है –

1. प्रधान – अध्यक्ष
2. विकास अधिकारी – पं.स.
3. पंचायत समिति की शिक्षा समिति के दो सदस्य
4. ब्लॉक सन्र्दभ केन्द्र प्रभारी ड़ी.पी.ई.पी.
5. प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय

विशेष आगन्तुक

6. सी.ड़ी.पी.ओ.
7. ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी
8. सेवानिवृत अध्यापक

ब्लॉक स्तरीय समिति निम्न लिखित काम करेगी :–

1. अभियान का क्रियान्वयन एवं प्रगति का प्रबंधन एवं व्यूह रचना एवं गतिविधियों का विश्लेषण ।
2. ब्लाक को संकुलों में अभियान के सुचारू रूप से क्रियान्वन हेतु बांटना।
3. आवश्यकता आधारित नियोजन का यथावत क्रियान्वन।
4. आंकड़ो एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण।
5. चिकित्सा विभाग के सहयोग से ब्लॉक के विद्यालयों में बच्चों के लिए स्वास्थ शिविरों का आयोजन।

(स) ग्राम स्तरीय समिति(पंचायत स्तर) :–

के निम्न सदस्य है –
1. वार्ड पंच– अध्यक्ष
2. वार्ड सदस्य – 5 (1 अ.जा.,1 ज.जा., 1 महिला,2 अन्यं)
3. ग्राम सेवक
4. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
5. अध्यापक – 2 (प्र.अ.,प्रा.वि. द्वारा मनोनित)
6. अभिभावक/संरक्षक –2 (प्र.अ.,उ.प्रा.वि. द्वारा मनोनित)
7. प्र.अ., उ.प्रा.वि. – सचिव

विशेष आगन्तुक
8. ए.एन.एम.
9. सेवानिवृत कर्मचारी

इस समिति के निम्न उद्देश्य है –

1. "**शिक्षा आपके द्वार**" योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का उत्तरदायित्व पूर्ण निर्वहन।

2 ग्राम समिति द्वारा बैठको का आयोजन।

3. समस्त वर्गो एवं जातियो की सहभागिता सुनिश्चित करना।

4. समिति द्वारा विभिन्न भौक्षिक योजनाओं यथा वैकल्पिक विद्यालय, रा.गा.पा., आंगनवाड़ी, पैराटीचर, शिक्षामित्र योजना के बारे में उनका कर्तव्य एवं अधिकारों के बारे में बताना।

5. समिति द्वारा विद्यालयों की सहभागिता से निर्मित योजना के बारे में जानकारी देना।

ड़ी.पी.ई.पी. द्वारा समस्त विद्यालयों हेतु शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया जा चुका है जिनका योजना निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही।

3.5 सामाजिक सर्वेक्षण अध्ययन :

आधार भूत उपलब्धि सर्वे :

सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के विस्तार, सार्वजनिक पहुँच, विद्यालय में अधिगम ठहराव, क्षमता निर्माण तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रकाश में आई है। अतः जिले की शैक्षिक समस्याओं व मुश्किलों को पहचानना अत्यन्त आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब समस्याओं का निर्धारण व पता लगाया जाये तथा उनके समाधान के लिए उपचरात्मक उपाय किये जायें। भिन्न शैक्षिक समस्याओं को जो इस योजना से सम्बन्धित है निम्न समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1— स्कूल पहुँच व छात्र ठहराव की समस्या

2— गुणवत्ता की समस्या

3— शिष्ट केन्द्रित समूह की समस्या

4— शहरी वंचित बच्चों की समस्या

इन समस्याओं पर विस्तृत विवेचना से इन्हें नजदीकी से समझा जा सकता है ताकि इनके समाधान का उपचार व उपाय किया जा सके।

समस्यायें एवं मुख्य मुद्दे :

3.5.1 विद्यालय पहुँच व छात्र ठहराव की समस्या

विद्यालय का आवास से दूर होना व छात्रों का निर्धारित शिक्षा पूरी न करना एक ज्वलन्त समस्या है। इसके निम्नांकित कारण प्रतीत होते हैं।

3.5.2 विद्यालय विहीन बस्तियाँ

बालकों के न्यूनतम नामांकन का कारण बस्तियों के निकट विद्यालय उपलब्ध न होना भी है।

3.5.3 जागृति का अभाव

जो जनता छोटी बस्तियों में निवास करती हैं उनमें अपने बच्चों के शैक्षिक विकास व प्रारम्भिक शिक्षा के महत्व को जानने व समझने के प्रति जागरूकता नहीं है। वे इस बात से अनभिज्ञ हैं शिक्षा उनके चरित्र के निर्माण में सहयोग करती है और देश के विकास में मददगार है। करौली जिले के पहाडी व डांग क्षेत्र मे साक्षरता दर की कमी वहॉ की जनता की शिक्षा के प्रति जागरूक न होने का स्पष्ट सबूत है। अतः वे अपने 6–11 वर्ष के बच्चों को विद्यालय ही नहीं भेजते हैं। उकने बालक या तो छोटे शिशुओं को सम्भालते हैं या फिर खेती बाडी में अपने अभिभावकों के साथ हाथ बॅटाते हैं। अभिभावक अपने बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर भी नहीं भेज सकते क्योंकि उन्हें अनौपचारिक शिक्षा सुविधा व व्यवस्था की भी जानकारी नहीं हैं।

बाल मजदूर या श्रमिक बच्चे :

गॉव में बच्चे घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहते हैं शिक्षा उनके जीवन में कोई अहम महत्व नहीं रखती है। आर्थिक विपन्नता के कारण गरीब लोग अपने बच्चों को या तो होटलों में भेजते हैं या छोटे औद्योगिक कारखानों में या फिर खेती के कार्य के लिए मजदूरी कराते हैं किन्तु उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं। कोटरी कैलादेवी के बच्चे पत्थर निकालने खदानो पर कार्य करने जाते है।

विद्यालय उपलब्ध होते हुए भी बच्चों को विद्यालय सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। लडकियॉ छोटे– भाई बहिन शिशुओं को ही खिलाती हैं या खेती में काम में हाथ बॅटाती हैं या जानवरों को चराने जाती है। गोबर थापती हैं और वैसे भी सामाजिक अवरोध

भीड भरी कक्षाएँ :

विद्यालयों में कक्षा कक्ष का निर्माण बच्चों की संख्या के अनुपात से नहीं किया जाता है अतः कमरे छोटे व सिकुडे होते हैं जगह कम बच्चे अधिक होने से भीड होती है। इससे शैक्षिक वातावरण नहीं बन पाता है। वे बच्चे मानसिक व भावनात्मक रूप से विद्यालय से सम्बन्धित जुडे अधिक समय तक नहीं रहते हैं।

उचित विद्यालय भवन व वातावरण का अभाव

स्कूलों में विद्यालय भवन टूटी फूटी पुरानी इमारतों में चल रहे हैं। बच्चों के लिए बैठक व्यवस्था हेतु मात्र सीमेन्ट के खाली बोरे हैं दरी पट्टी भी नहीं है। विद्यालयों के चारों ओर गन्दा वातावरण है। कितने ही स्कूल असुरक्षित हैं छत और दीवाल गिर सकती है। आवागमन हेतु सडक नहीं है। वर्षात में कोई रास्ता नहीं है। स्कूलों में चार दीवारी का अभाव है। खेल के मैदान तो स्वप्न हैं। साधन विहीन, सुविधा रहित विद्यालयों में एक शैक्षिक वातावरण कहॉ से आयेगा।

गरीबी :

आर्थिक विपन्नता एक ऐसा कारण है जिसके कारण अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। विद्यालय समय अधिक होने के कारण घर के कार्य के लिए बालक–बालिकाओं की आवश्यकता होती है।

गृह कार्य में व्यस्तता :

ग्रामीण क्षेत्रों में बालक–बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश तो करा दिया जाता है किन्तु बीच में से उन्हें विद्यालय जाने से रोक लिया जाता है। पूरे जिले में अनुसूचित जन जाति व पिछडी जाति होने के कारण छात्राएँ स्कूल नहीं जाती हैं। उन्हें गृह कार्य में भी मदद करनी होती हैं। इसके कारण उन्हें प्राथमिक शिक्षा को बीच में ही छोडना पडता है। टोंक जिले की

बहुतायत जनता कृषि व पशुपालन पर आधारित है ज्यादातर बजरी कीं खदानो पर श्रमिक का कार्य करते हैं और जीविका का कोई साधन नहीं है। बच्चे घर पर शिशुओं को सम्भालने व मवेशी चराने का कार्य करते हैं। क्षेत्र में भैंस और बकरिया रखने वाले लोग उनकी लडकियॉ जानवरों को चराने, गोबर थापने, घर झाडने, जानवरों को चारा डालने, खाना बनाने के लिए, ईंधन बटोरने या अन्य छोटे घर से खेत पर खाना देने आदि के कार्य करती हैं।

3.5.9 लिंग विभेद :

अधिकांश समुदायों में टोंक जिले में लिंग भेद है। लडकियों को गृह कार्य के लिए ही माना जाता है। अधिकांश गांवो की बडी लडकियॉ स्कूल नहीं जा सकती है इस क्षेत्र में बाल विवाह व पर्दा प्रथा के कारण लडकियॉ स्कूल नहीं जाती हैं। अभिभावकों को यह समझाना आवश्यक है कि यदि लडकी पढी लिखी होगी तो वे आत्म निर्भर होगी और कोई भी कठिनाई आने पर अभिभावकों को दिक्कत की सूचना दे सकेंगी।

3.6.2 क्रिया आधारित अध्यापन का अभाव :

बालक क्रिया कर सीखना ज्यादा पसन्द करते हैं। क्योंकि उनका रुझान बचपन में क्रिया करना होता है। लेकिन विद्यालय में क्रिया आधारित कोई शिक्षण नहीं होता है। अतः बालक पढने में रुचि नहीं लेते और विद्यालय छोड देते हैं या कक्षा में मन्द रहते हैं अतः उनके अधिगम की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

3.6.3 भौतिक अक्षमता :

गरीबी के कारण एवं भौतिक साधनो के अभाव में बालको को विद्यालय नही भेजा जाता हैं वे अमीर लोगो के सामने अपने आप को बौना व कमजोर मानते हैं। जिससे विद्यालयो से बालक वंचित रहते है।

3.6.4 अरुचिकर पाठ्य पुस्तकें :

प्राथामिक स्तर पर अनेक विषयों की निर्धारित पुस्तकें उत्साहित करने वाली नहीं है। वे कोई रुचि पैदा नहीं करती है अतः इससे अधिगम प्रभावित होता है। पाठ्य पुस्तकें दैनिक जीवन से सम्बन्धित नहीं होती है।

3.6.5 आनन्ददायी अधिगम का अभाव :

प्राथमिक कक्षाओं में खेल क्रिया आधारित विधियॉ नहीं है केवल पुस्तकीय शिक्षा का बोलवाला है। अध्यापक भी नीरसता से निर्धारित पाठ्यक्रम को मात्र औपचारिकता वश पूरी करता है अतः छात्र अधिगम प्रक्रिया में ऊब जाते हैं अतः अध्यापकों के लिए श्रम शील व गहरी एवं थोडी आवृति में प्रशिक्षण चाहिए जिनमें दृस्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, खेल क्रिया तथा भिन्न कक्षा कक्षीय क्रियायें सिखाई जावें। बार बार प्रशिक्षण दिये जायें। बस्ते का बोझ यशपाल समिति ने समझा अतः विचारणीय है। आनन्दहीन अधिगम के कारण छात्र शीघ्र विद्यालय छोड देते हैं। इसे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पडता है।

3.6.6 कमजोर (हीन) शैक्षणिक वातावरण :

घटिया शैक्षणिक वातावरण घटिया गुणवत्ता का प्रतीक है यही बात विद्यालयों में निम्न कोटि के शैक्षिक वातावरण की हैं। ज्ञान के स्त्रोत सूख गये हैं। या तो दलगत राजनीति, या निजी स्वार्थ, या चरित्र का पलायन विद्यालयों में कोड के रूप में घुस गया हैं। ज्ञान के सागर मात्र अध्यापक कर्मचारी ही बन कर रह गये हैं। जब बालक को स्कूल व घर दोनों जगह अध्ययन सहयोगी वातावरण नहीं मिलेगा तो शैक्षिक स्तर में हीनता ही आयेगी। अध्यापक अत्यधिक भीड भरी कक्षा में प्रभावी ढंग से पढा नहीं सकता न अभिभावक के पास समय न जागृति ताकि बालक पढाई की ओर उन्मुख हो सके। शैक्षिक वातावरण के ह्रास से

बालक न विद्यालय में पढ रहा है न घर पर। घर से भी दूर स्कूल से भी दूर बालक भटक रहा है।

3.6.8 अध्यापकों का अन्यत्र निवास

प्राय अध्यापक विद्यालय से दूर रहते है जिससे आने जाने में अधिक समय खर्च होता है और मानस अध्याप्न के प्रति पूर्ण रूपेण नही बन पाता है जिससे गुणवत्ता में कमी आती है।

3.6.9 परिवीक्षण में सम्बलन का अभाव

विद्यालय और अध्यापको की संख्या के देखते हुए परिवीक्षणकर्ता व सम्बलनकर्ता नगण्य है।जिससे उक्त कार्यो का अभाव रहता है । जो भी संख्या में परिवीक्षण कर्ता व सम्बलन कर्ता है उन पर भी अन्य राज्य कार्यो का दबाब रहता है जिससे वो समय नही दे पाते जबकि यह कार्य सतत चलना चाहिये तभी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दी जा सकती है।

3.7 अ0जा0/अ0ज0जा0 के बच्चों की शिक्षा :–

अजा/अजजा के बच्चों का विशेष ध्यान देना प्राथमिक शिक्षा का विशेष ध्यान देना केन्द्र बिन्दु होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के अन्दर दलितों व जन जातियों का अपना अभियान समझना आवश्यक है। अतः इसमें आवश्यक है कि :–

1– स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिष्ठ शिक्षण की सहायता।

2– एससी/एसटी के समुदाय के द्वारा स्कूल कमेटी को अपना समझना।

3– स्कूल शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

4– वैकल्पिक विद्यालय जाना।

5– शिशु शिक्षा व शिशु देखभाल के कार्यक्रम

6– जागरूकता अभियान

7— निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

शिशु शिक्षा एवं शिशु देखभाल कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है ।

शहरी वंचित बालक

शहरी वंचित बच्चों के पास प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीनीकरण नहीं पहुँच पाता है। शहरी बालकों की विशिष्ठ समस्यायें होती हैं क्योंकि उनके अभिभावक अपने व्यवसायों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं अतः इससे बच्चों की पढाई पर असर पढता है। दूसरी ओर ये बालक चीथडे एकत्रित करना, उद्योग कारखानों में कार्य करना, गृहकार्य में लगे रहना, होटलों में काम करना आदि के कारण शिक्षा प्राप्त करने में बाधा पाते हैं। अतः सभी सरकारी विभाग, स्थानीय संकाय, गैर सरकारी निजी संगठन नगर पलिकायें आदि का समन्वयन व एक दूसरे में विलीयन व तालमेल आवश्यक है। अतः इन वंचित वर्ग के बच्चों के लिए योजना में उपयुक्त समय का ध्यान रखना आवश्यक हैं। जागरूकता पैदा करना, पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण तथा अन्य अधिगम अध्यापन सामग्री का होना आवश्यक है।

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान क्या है ?

भूमिका :– सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य सत्र 2010 तक समस्त 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। सम्पूर्ण जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उच्च प्राथमिक स्तर तक इसका विस्तार किया जाएगा। इस अध्याय में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय सुविधा राशि, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें , उपचारात्मक कक्षाओं के आयोजन एवं शिक्षकों के विभिन्न प्रशिक्षणों के आयोजन का उल्लेख किया गया है।

*शाला सुविधा राशि (प्राथमिक विद्यालय) :–*इस मद के तहत वर्ष 2005–06 में 733 विद्यालयों को लिए 14.66 लाख रूपये 2006–07 में 822 विद्यालयों के लिए 16.44 लाख रूपये खर्च किये जायेगें। इस प्रकार कुल 31.10 लाख रूपये इस मद में दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

*शाला सुविधा राशि (उच्च प्राथमिक विद्यालय) :–*इस मद के तहत वर्ष 2003–04 में 315 विद्यालयों के लिए 6.3, 2004–05 में 354 विद्यालयों के लिए 7.08 लाख 2005–06 में 354 विद्यालयों के लिए 7.08 लाख रूपये 2006–07 में 362 विद्यालयों के लिए 7.24 लाख रूपये खर्च किये जायेगें। इस प्रकार कुल 1385 विद्यालयों को 27.7 लाख रूपये इस मद में दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

शिक्षण अधिगम सामग्री

शिक्षण अधिगम सामग्री (प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए) :– *इस मद के तहत* वर्ष 2005–06 में 2357 अध्यापकों को 11.785 लाख रूपये 2006–07 में 2427 अध्यापकों को

12.135 लाख रूपये खर्च किये जायेगें । इस प्रकार कुल 9040 अध्यापकों को 23.92 लाख रूपये इस मद में दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

शिक्षण अधिगम सामग्री (उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए) :– *इस मद के* तहत वर्ष 2003–04 में 2947 अध्यापकों के लिए 14.735, 2004–05 में 2797 अध्यापकों के लिए 13.98 लाख 2005–06 में 2852 अध्यापकों के लिए 14.26 लाख रूपये, 2006–07 में 2924 अध्यापकों के लिए 14.62 लाख रूपये खर्च किये जायेगें । इस प्रकार कुल 11307 अध्यापकों को 56.535 लाख रूपये इस मद में दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

प्रशिक्षण :–

अध्यापक प्रशिक्षण उ.प्राथमिक एवं नवीन उ.प्राथमिक विद्यालयों के लिए (20 दिवसीय) :– इस मद के तहत वर्ष 2003–04 में 213 के लिए 2.982 लाख रूपये अध्यापकों को 2004–05 में 2797 अध्यापकों के लिए 39.158 लाख 2005–06 में 2852 अध्यापकों के लिए 39.928 लाख रूपये 2006–07 में 2924 अध्यापकों के लिए 40.936 लाख रूपये खर्च किये जायेगें । इस प्रकार कुल 11307 अध्यापकों के प्रशिक्षण पर 120.022 लाख रू. खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।

अविनयन प्रशिक्षण अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए (60 दिवसीय) :– वे अध्यापक जो अप्रशिक्षित लगे हुए हैं उन्हें 60 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा । इस मद के तहत वर्ष 2004–05 में 260 अध्यापकों के लिए 10.92 लाख रूपये खर्च किये जायेगें।

प्रशिक्षण नये अध्यापकों के लिए (30 दिवसीय) :– इस मद के तहत वर्ष 2003–04 में 70 अध्यापकों के लिए 1.47 लाख 2004–05 में 70 अध्यापकों के लिए 1.47 लाख 2005–06 में

167 अध्यापकों के लिए 3.507 लाख रूपये 2006–07 में 202 अध्यापकों के लिए 4.242 लाख रूपये खर्च किये जायेगें ।

शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण (2 दिवसीय) :– इस मद के तहत वर्ष 2003–04 में 2520 शा.प्र.समिति सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए 1.512 लाख 2004–05 में 2832 शा.प्र. समिति सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए 1.699 लाख, 2005–06 में 2832 शा.प्र.समिति सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए 1.699 लाख रूपये 2006–07 में 2896 शा.प्र.समिति सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए 1.738 लाख रूपये खर्च किये जायेगें ।

अध्याय – 5

पहुँच, नामांकन एवं ठहराव

भूमिका :– प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के क्षैत्र में सबसे बड़ी बाधा शिक्षा सुविधाओं का कम होना व दूरी अधिक होना है। प्रत्येक बालक–बालिका के लिए 1 किमी की परिधि में शिक्षा की सुविधा होना आवश्यक है। साथ ही ऐसे बच्चें जो इन शैक्षिक सुविधाओं में भी कुछ औपचारिकताओं के कारण नहीं जुड़ पाते है तो ऐसे बच्चों के लिए यह सीमा समाप्त कर उन वास–स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था जैसे वैकल्पिक विद्यालय (4 घंटे), ब्रिजकोर्स, शिक्षा मित्र (सांयकालीन विद्यालय) संचालित किये जाने आवश्यक होने से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रस्तावित किये गये है।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की सुनिश्चितता हेतु निम्न व्यूह रचना को क्रियान्वित किया जावेगा –

वैकल्पिक विद्यालय :–

जिले में 1999 से डी.पी.ई.पी. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 165 वैकल्पिक विद्यालय (6 घंटे), एवं 43 मदरसा विद्यालय संचालित किये जा रहे है। जिनमें अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास जारी है।

लेकिन फिर भी लगभग 33291 बालक–बालिका " शिक्षा आपके द्वार " सर्वे के आधार पर अभी भी किसी भी प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था/वैकल्पिक व्यवस्था से नहीं जुड़ पाये है। उनके लिए डी.पी.ई.पी. सर्व शिक्षा अभियान के तहत आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्थाऐं जुटाई जाएगी।

वर्तमान में जिले की सकल पहुँच दर :–

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिक के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी गांवों/मजरों/ढ़ाणियों में शैक्षिक सुविधाऐं उपलब्ध कराना मुख्य कारक है। इसलिए राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि समस्त बच्चें किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था से अवश्य जुड़े तथा शिक्षा से वंचित न रहे।

टोंक जिले में 1102 राजस्व ग्राम है तथा छोटे गांवों की संख्या भी 1423 है। इस प्रकार सकल पहुँच दर निम्न प्रकार से है –इनमें से लगभग 900 वासस्थान ऐसे हैं जहां पर एक कि.मी. की परिधि में शैक्षिक सुविधाऐं उपलब्ध हैं ।

कुल ग्रामों की संख्या = **1102** (राजस्व गांव) + **523** (वासस्थान) = **1625**

कुल विद्यालयों की संख्या = प्रा.वि. + उ.प्रा.वि. + रा.गा.पा. + वै.विद्यालय

1605 = 790 + 314 + 336 + 165

$$\text{जी.ए.आर.} = \frac{\text{कुल विद्यालयों की संख्या}}{\text{कुल ग्रामों की संख्या}} \times 100$$

$$= 1605/1625 \times 100 = 98.70$$

इस प्रकार जी.ए.आर. **98.70** है।

प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नति :–

सर्व शिक्षा अभियान में 3 कि.मी. की परिधि की दूरी पर एवं कक्षा 5 में 15 बच्चों की उपलब्धता पर प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 2:1 रखा जाएगा। जिले में कुल 711 प्राथमिक विद्यालय है। जिनमें से वर्ष 2003–04 में 39 विद्यालयों को 2005–06 में 8 विद्यालयों को एवं 2006–07 में 32 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का प्रावधान है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले में वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कुल 79 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रूप में क्रमोन्नत कर दिया जावेगा। इस हेतु शिक्षण अधिगम उपकरण के लिए प्रत्येक क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय को 50000 रू. प्रति वर्ष दिये जावेंगे जिसके अन्तर्गत कुल 39.5 लाख रू. खर्च किये जावेगें। प्रत्येक प्रधानाध्यापक को प्रथम वर्ष 7500/–रू. वेतन के लिए कुल 79 प्र.अ. के वेतन पर 71.1 लाख रू. खर्च करने का एवं द्वितीय वर्ष में 10000/–रू. वेतन के लिए कुल 221 प्र.अ. के वेतन पर 265.2 लाख रू. खर्च करने प्रावधान रखा गया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक अध्यापक को प्रथम वर्ष 6300/–रू. वेतन के लिए कुल 87 अध्यापक के वेतन पर 104.4 लाख रू. खर्च करने का एवं द्वितीय वर्ष में 7000/–रू. वेतन के लिए कुल 198 अध्यापक के वेतन पर 166.32 लाख रू. खर्च करने प्रावधान रखा गया है।

शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तन :–

शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय (6 घंटे) जिनमें 50 का न्यूनतम नामांकन है, को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन किया जायेगा एवं प्रारंभिक

शिक्षा का सार्वजनीकरण के उद्देश्य को पूर्ण किया जायेगा। इन सभी को प्रारम्भ होने से तीन वर्ष बाद प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन किया जायेगा।

प्रस्तावित नवाचार की व्यूह रचना निम्न प्रकार है :–

रात्रिकालीन पाठशाला

ब्रिजकोर्स (आवासीय एवं गैर आवासीय)

माईग्रेट होने वाले बच्चों को कार्ड जारी कर शिक्षा मुख्य धारा से जोडना

विकलांगो के लिए शिक्षा

कामकाजी बालकों के लिए शिक्षा

एस.सी./एस.टी. बालकों के लिए शिक्षा

मोबाइल विद्यालय

प्राथमिक विद्यालय के बालकों हेतु सुविधा :–शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालय के बालक–बालिकाओं के लिए 845.00 रूपये प्रति बालक दिया जाना है। इस हेतु वर्ष 2003–04 में 18969 बालकों को 160.288 लाख, 2004–05 में 17117 बालकों को 144.63 लाख, 2005–06 में 15173 बालकों को 128.21 लाख 2006–07 में 12132 बालकों को 102.515 लाख रूपये दिये जायेगें । इस प्रकार कुल 63391 बालकों को 535.654 लाख रूपये दिय जाने का प्रावधान है।

ईजीएस/ए.एस. विद्यालयों का प्राथमिक विद्यालयों में कमोन्नयन :– इस हेतु शिक्षण अधिगम उपकरण के लिए प्रत्येक कमोन्नत प्राथमिक विद्याालय को 0.1 रू. प्रति वर्ष दिये जावेंगे जिसके अन्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कुल 202 विद्यालयों पर 20.2 लाख रू. खर्च किये जावेगें। प्रत्येक अध्यापक को प्रथम वर्ष 5250/–रू. वेतन के लिए कुल 202 अध्यापकों

के वेतन पर 127.26 लाख रू. खर्च करने का एवं द्वितीय वर्ष में 7000/–रू. वेतन के लिए कुल 272 अध्यापकों के वेतन पर 228.48 लाख रू. खर्च करने प्रावधान रखा गया है।

सामुदायिक गतिशीलता :– सामुदायिक गतिशीलता से आशय समाज के विचारों में सकारात्मक परिवर्तन। परिवर्तन से आशय किसी एक क्षैत्र विशेष से न होकर जीवन के हर पहलू में समाज की सक्रिय भागीदारी से सामाजिक मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, भौतिक विकास एवं संसाधन जुटाने में, एवं बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान देने, वंचित एवं पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने से है।

इस हेतु ग्राम शिक्षा समितियों का गठन, विद्यालयों प्रबन्धन समितियों का गठन, जनप्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना, मनोरंजनात्मक गतिविधियों का आयोजन, शिक्षक–अभिभावक संघ को सक्रिय करना, कला जत्थों, बाल मेलों, विकास प्रदर्शनियों, प्रभात फेरियों, रेली, विभिन्न प्रतियोगिताओं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्मेलन, झांकियों का प्रदर्शन, पोस्टर–फोल्डर, चार्ट आदि का प्रकाशन कर सहभागिता में वृद्वि करना मुख्य–मुख्य गतिविधियां है। इसके लिए निम्न उपाय काम में लिये जा सकते है –

जन प्रतिनिधियों से निरन्तर सम्पर्क।

विद्यालय विकास फण्ड।

सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन।

ग्रामीण विकास की योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना।

महिला बैठकों का आयोजन।

नामांकन अभियान हेतु विशेष आयोजन।

शत प्रतिशत नामांकन करने वाले संस्था प्रधानों को पुरस्कृत कराना।

बाल मेलों का आयोजन।

सामुदायिक गतिशीलता में जिले में संचालित 309 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष विभिन्न गतिविधियां संचालित की जानी प्रस्तावित है। शाला प्रबन्धन समितियों के सदस्यों को संकुल स्तर पर /विद्यालय स्तर पर इन गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण देना प्रस्तावित है। एवं वातावरण निर्माण के लिए सामग्री का निर्माण कर वितरित किया जाना है।

अध्याय – 6

गुणवत्ता

6.1 भूमिका : – सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव के बाद बालक बालिकाओं को गुणवता शिक्षा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। गुणवता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये इस अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों को विषय शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जावेगा ।

नामांकन, नियमित उपस्थिति और आनन्ददायी शिक्षण के साथ–साथ शिक्षा के स्तर में वांछनीय सुधार के लिए शिक्षण में गुणात्मक उन्नयन जरुरी है। शिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यदि शिक्षक अपने विषय में पूर्ण पारंगत है और पूरी तैयारी के साथ कक्षा में छात्रों के साथ मेहनत करता है तो उसका शिक्षण कार्य पूर्ण प्रभावी सिद्ध होगा। इसलिए आवश्यक है कि वह स्वयं नियमित रहे और छात्र केन्द्रित शिक्षण पद्धति से शिक्षण कार्य करें, इससे भी अधिक उपयुक्त रहेगा कि छात्रों की कक्षा शिक्षण में अधिकाधिक भागीदारी हो, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति व श्यामपट्ट पर लिखने का अवसर प्रदान किया जावे। सहभागी व प्रश्नोत्तर पद्धति से शिक्षण कार्य किये जाने पर विद्यार्थियों का जुड़ाव बढ़ता है। पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों व माध्यम से अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान किये जावें । साथ ही दैनिक जीवन से सम्बन्धित विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाए। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षक स्वयं पुस्तकालय में पुस्तकों का अध्ययन करें और कक्षा में पूर्ण तैयारी के साथ पढ़ावें। शिक्षण कार्य को प्रभाव पूर्ण बनाने के लिए सहायक सामग्री का विशेष महत्व है इसके लिए सहायक सामग्री निर्मित की जाए और शिक्षण कार्य में अधिकाधिक उपयोग किया जायें। बालकों को भी निर्देश देकर सहायक सामग्री निर्मित कराई जा सकती है। बालकों को नियमित रुप से गृह कार्य दिया जाए और उसकी

जॉच कर संशोधन कराया जाए। सुन्दर हस्तलिपि की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है। गलतियों पर बालकों को प्रताड़ित व डांट फटकार न करके उन्हें प्यार से धीरे–धीरे समझाया जाये। श्रेष्ठ कार्य करने वाले और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने वाले बालकों को शाबासी देकर व पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाये। इससे उनमें स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास हो सकेगा और उनकी अधिगम क्षमता बढ़ेगी । मूल्यांकन प्रकिया को अधिक वस्तु परक व न्याय संगत बनाया जाए, जिससे ऐसा लगे कि शिक्षक ने बालकों के साथ बिना भेदभाव के व्यवहार किया है।

शिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए विद्यालय में निम्न प्रवृत्तियों व गतिविधियों का संचालन कर विद्यालय वातावरण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

प्रार्थना सभा का प्रभावी संचालन

अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास

शिक्षकों द्वारा उद्‌बोधन

स्वच्छता

खेल–कूद

दल व्यवस्था

बाल सभा

हिन्दी भाषा का प्रयोग

बालकों को नाम से सम्बोधन करना

अधिकारियों/कर्मचारियों को विद्यालय में आमंत्रण

बालकों में वैज्ञानिक सोंच का विकास आदि ।

6.2 भौतिक सुविधाओ में विस्तार : – गुणवतापूर्ण शिक्षा देने के लिये विद्यालयों में भौतिक सुविधाएँ (भवन, श्याम पट्ट, शिक्षण सामग्री, शिक्षण उपकरण) आदि मुहैया करवाये जावेगें । साथ ही अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, हैण्डपम्प, के निर्माण का प्रस्ताव भी सर्वशिक्षा योजना में रखा गयाहै ।

6.3 शैक्षिक सुविधाये : – शिक्षा में गुणवता लाने के लिये पाठयपुस्तको में सुधार की भी आवश्यकता है अतः कक्षा 6–8 की पाठयपुस्तकों की समीक्षा कराने का प्रावधान भी सर्व शिक्षा योजना में रखा गया है ताकि पाठयपुस्तकों को बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल एवँ सामाजिक अपेक्षाओं के अनुकूल बनाया जासके । शिक्षकों में शिक्षण कौशल विकसित करने विषय वस्तु का ज्ञान करवाने एवँ अभीष्ठ क्षमता विकसित करने की दृष्टि से प्रतिवर्ष शिक्षकों के प्रशिक्षणों का आयोजन किया जावेगा ।

शिक्षण को रूचिपूर्ण एवँ आकर्षक बनाने के लिये व शिक्षणं अधिगम सामग्री बनाने हेतु उच्च प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों के लिये रूपये 500/रू प्रति अध्यापक दिया जावेगा ।

प्रत्येक विषय के अध्यापकों को डाइट/बी.आर.सी. के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण के सदंर्भ व्यक्ति का प्रशिक्षण दिया जावेगा ताकि वे शिक्षकों की विषय शिक्षण की नवीनतम जानकारी तथा शिक्षणं की नवीन तकनीकियों से समय समय पर अवगत करवा सके ।

6.4 विद्यालय अनुदान राशि : – गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विद्यालय अनुदान राशि दी जायेगी। जिससे विद्यालय मे आवश्यक सुविधा जुटाने में मदद मिले। इस राशी मे से विद्यालय रखरखाव पुताई, घूघरी बनाने हेतु आवश्यक संसाधन जुंटाने आदि मे किया जा सकता है। इस हेतु 2000/– रु प्रति विद्यालय अनुदान राशि का प्रावधान है।

6.5 शिक्षण सहायक सामग्री (टी.एल.एम.) : –

कक्षा कक्ष शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने हेतु प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयेा के अध्यापको कौ 500/– रु प्रति वर्ष प्रति अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण हेतु दिये जायेगें, जिसमे से अध्यापक अपने विषय से सम्बन्धित शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण कर सकंगे एवं अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकेगें ।

6.6 निःशुल्क पाठय पुस्तक वितरण : – प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी बालक बालिकाओ को निःशुल्क पाठय पुस्तक वितरित करने का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान मे है। वर्तमान मे समस्त राज. प्राथ. विद्यालयों मे पढ रहे बालक बालिकाओं कौ निशुल्क पाठय पुस्तके मिल रही है तथा कक्षा 6 से 8 तक के बालिकाओ को भी निःशुल्क पाठय पुस्तके प्राप्त हो रही है।

6.7 पुस्तकालय अनुदान : – विद्यालयेा मे पुस्तकालयो का विशेष महत्व है । प्राथमिक कक्षा मे पढनें वाले बालक बालिकाओ को बालगीत, कविता, कहानियां तथा उनके अनुरुप सामान्य ज्ञान आदी की पुस्तके साथ ही अध्यापको को भी उनके विषय से सम्बन्धित शिक्षण सन्दर्भ पुस्तके पुस्तकालय अनुदान द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगीं । इन पुस्तको मे से विद्यालय का वातावरण शैक्षिक एवं आनन्ददायी बन सकेगा।

6.8 प्रशिक्षण : – गुणवत्ता युक्त शिक्षण हेतु शिक्षको को विशेष रुप से आनन्ददायी शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के द्वारा –

गतिविधि आधारित शिक्षण

बाल केन्द्रित शिक्षण विधिया

शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री निर्माण

बहूवर्ग एवं बहूकक्षा शिक्षण

अनुपयोगी वस्तुओ से शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण

शिक्षण सहायक सामग्री के समुचित उपयोग की जानकारी

सामुदायिक गतिशीलता

जैण्डर संवेदनशीलता

विकलांगों हेतु एकीकृत शिक्षा

शिक्षण में हो रहे नवाचारो से अवगत करवाना

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जावेगा । ये प्रशिक्षण निम्न प्रकार होगें । सभी उच्च प्रा. कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों को 20 दिवसीय सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर दिया जायेगा । जिसमें 9 दिवसीय विषय वस्तु पर आधारित तीन दिवसीय शिक्षण सामग्री निर्माण और 8 दिवसीय मासिक बैठक प्रत्येक माह एक दिन दिया जावेगा । वक्ष प्रशिक्षक डाईट तैयार करेगी, अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए 60 दिवसीय प्रशिक्षण (आवासीय) डाईट करवायेगी । 30 दिवसीय प्रशिक्षण ब्लॉक पर होगें ।

कम्प्यूटर शिक्षा :– कक्षा 6 से 8 तक प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर का समावेश एक नवाचारी प्रयोग है जो आज की मॉग को लेकर आवश्यकता भी है। क्योंकि अब समय आ गया है जब शिक्षा को जीविकोपार्जन के व्यवसाय से जोडा जाय। विज्ञान के प्रयोग व ज्ञान के विस्फोट ने कम्प्यूटर का ज्ञान लाजमी बना दिया है। अतः जिले में कुल उच्च प्राथमिक विद्यालय 323 है। उनमें कम्प्यूटर लगायें जायेंगे जिनकी लागत का भार सर्व शिक्षा अभियान में बहन किया जायेगा।

अध्याय –7

विशिष्ट फोकस ग्रुप

7.1 भूमिका :– जिले में सामाजिक मूल्यांकन सर्वे के आधार पर प्राप्त निष्कर्षो एवं प्राप्त आंकड़ो के अनुरूप सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुई जातियों एवं समूह जो कि शिक्षा से वंचित है उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किये जाने प्रस्तावित है।

1. अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए शिक्षा।
2. घुमक्कड़ जातियों के लिए शिक्षा।
3. गाडियों लुहारों के लिए शिक्षा।
4. विकलांगों के लिए शिक्षा।
5. पलायन परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा।

7.2 जेण्डर संवेदनशीलता :– बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये सर्व शिक्षा अभियान में निम्न प्रावधान रखे गये है :–

बालिका नामांकन पर विशेष प्रयास ।

कक्षा 1–8 तक की अनुसूचित जाति व जन जाति की बालिकाओं को पाठयपुस्तकों एवँ शिक्षणं सामग्री का निशुल्क वितरण ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से इन बालिकाओं को लाभान्वित करवाना ।

समाज में बालिका शिक्षा के प्रति संवेदना विकसित करने के उद्वेश्य से प्रत्येक गाँव में महिला मंचों की स्थापना करना ।

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये प्रत्येक स्कूल में बालिका मंचों का गठन करना ।

7.4 विकलांग बालकों के लिये एकीकृत शिक्षा :– अनेक बालक व बालिकाये शारीरिक विकलांगता के कारण अपनी पढाई जारी नही रख पाने से विद्यालयों में ठहराव दर काफी कम

हो जाती है विद्यालयों में विकलांग बालकों की ठहराव दर बढाने के लिये सर्व शिक्षा अभियान में निम्न प्रावधान रखे गये है :–

विकलांग बालकों की विकलांगता की जांच ।

जॉच के आधार पर उनहे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना।

विकलांग बालकों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध करवाना ।

विकलांग बालकों को राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभ दिलवाना व उनका एक मेडीकल कार्ड बनवाना ।

विकलांग बालक बालिकाओं को अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं से सहायता दिलवाना।

अध्याय –8

अनुसंधान ,मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन

प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए निरन्तर नवीन नवाचार एवं नवीन विधाओं का अनुसंधान कर प्रयोग किया जा रहा है। प्रयोग करने के पश्चात् प्राप्त परिणामों हेतु विषय वस्तु के मूल्याकन ,परिवीक्षण एवं प्रबोधन की आवश्यता होती है। इसी कडी में शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए सर्वशिक्षा अभियान, में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया गया है। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक विकास ,अध्यापक प्रशिक्षण एवं कक्षा कक्ष प्रक्रिया का नियमित मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग विशेश रूप से आवश्यक है। इस प्रयास में समुदाय की भागीदारी महत्तवपूर्ण है। बच्चों की प्रगति एवं विद्यालयी प्रकिया को बढावा देने के लिए वी,ई,सी, पी,टी,ए, एस,ई,सी, एम,टी,ए, एवं एम,एस,सी, आदि को मासिक मीटिंग /पाक्षिक मीटिंग का आयोजन कर सर्वशिक्षा अभियान में सम्मलित किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों का उपलब्धि स्तर एवं प्रत्येक तीन वर्ष में सामयिक पर्यवेक्षण का प्रबन्ध किया गया हे।

सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षण अधिगम गुणवत्ता सुधार हेतु राज्य ,जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर रिसर्च ग्रप्स का गठन किया जावेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य, जिला ब्लाक एवं संकुलो पर गठित संदर्भ समूह एस, सी,ई,आर,टी, डाइट, बी,ई,ओं, बी,आर,सी, एवं सी,आर,एस, का पी,एम,आई,एस, की सूचनाओं के सम्बन्ध में कार्य करेगा।

गुणवत्ता से सम्बन्धित गतिविधियों की व्यूह रचना नियोजन, कियान्विति एवं मॉनिटरिंग का पर्यवेक्षण करेगा । इस ग्रुप का मुख्य कार्य पाठ्यक्रम विकास ,अध्यापन ,प्रशिक्षण एवं कक्षा कक्ष से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों में सलाह एवं मार्गदर्शन करना हे।

इस प्रकार सर्वशिक्षा अभियान में अनुसंधान ,मूल्यांकन,परिवीक्षण एवं प्रबोधन को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है जिनके माध्यम से ही गुणवत्ता शिक्षा में सुधार एवं निरन्तर अधिगम की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन कर मापी जा सकती है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003–2004 में कक्षा 3 का बेस लाइन सर्वे करवाए जाने का प्रावधान रखा गया है।

बेस लाईन सर्वे :– वर्तमान उपलब्धि स्तर का अध्ययन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक वि. मुख्य रूप से विशेष आवश्यकता वाले बालक (विशिष्ट फोकस ग्रुप) छात्रा अनु.जाति/जनजाति , विकलांग ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों का अध्ययन करना कक्षा कक्षों की विशेष परिस्थितियों के लिये अध्ययन करना। ।

सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन (सोशियल असिसमेंट स्टडी) :– इसका प्रमुख उद्देश्य वर्तमान आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं व उनका समाधान करने के तरीके निकालना है। तथा खास तौर से विभिन्न समुदायों में रह रहे क्षेत्रानुसार अनु.जाति/जनजाति व अन्य कमजोर समुदायों के बच्चे/बच्चियों की समस्याओं को सुलझाने के लिये तथा वर्तमान परिदृश्य को कैसे प्रभावी बनया जाये तथा शैक्षिक कार्यक्रमों को कैसे अच्छा व मजबूत बनाया जाये।

उपरोक्त कार्य के लिये जिले में एक अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन किया जावेगा जो अनुसंधान की गतिविधियें को बढावा देने का कार्य करेगी।

प्रबोधन

भूमिका – किसी भी कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु एक दृढ, एवं जवाबदेही प्रबोधन तन्त्र का होना आवश्यक है। प्रबोधन सर्व शिक्षा अभियान का एक मुख्य एवं महत्वपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा योजना का सफल संचालन एवं क्रियान्वयन किया जा सकता हैं। इस कार्य को मूर्त रूप एवं गति देने हेतु जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रबोधन हेतु तीन मुख्य कार्यक्रमों को सम्पादित किया जायेगा।

1. शैक्षिक प्रबंधन सूचना तन्त्र
2. योजना प्रबंधन सूचना तन्त्र
3. वित्त प्रबंधन सूचना तन्त्र

प्रबोधन के उद्देश्य

प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की समस्त जानकारियां जिला स्तर पर हर वर्श ज्ञात करना व उनका समय पर विश्लेशण करना ।

नामांकन एवं ठहराव की मॉनिटरिंग करना।

विद्यालय में अध्ययनरत छात्रो की परिलब्धियां ज्ञात करना जिसमें छात्राओं और सामाजिक संगठनो पर विशेश ध्यान रखना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कियान्वित हो रहे सभी कार्यो की मॉनिटरिंग करना।

शैक्षिक प्रबंधन सूचना तन्त्र

जिला स्तर पर जिला सूचना प्रणाली के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक गांव एवं विद्यालय की सूचना एनआईईपीए द्वारा निर्धारित डीआईएसई 2001 के प्रपत्रों में एकत्रित की

जायेगी। गांव की सूचनाए हर तीन वर्श बाद एवं विद्यालय की सूचनाये प्रत्येक वर्श एकत्रित की जायेगी। ये सूचनाये सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक ,एस एम सी के अध्यक्ष , सीआरसीएफ द्वारा प्रमाणित की जायेगी। जिसके माध्यम से शैक्षिक सांख्यिकी में नामांकन ठहराव एवं ड्राप आउट के सूचक तैयार किए जावेगे। यह नियोजन एवं अनुश्रवण में इनपुट का काम करेगें। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक प्रबन्धन सूचना तंत्र ,जिले के अन्तर्गत आने वाले कम्पयूटर डाटाबेस तैयार किया जावेगा, जिससे उक्त विद्यालयों के शैक्षिक डाटाबैस, शिक्षाविदों, प्रशासकों एवं अनुसंधानकर्ताओं को जिला स्तर पर ,राज्य स्तर पर एवं राश्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हो सकें, जिनका विश्लेशण कर भविश्य की योजना निर्माण एवं कार्यक्रम कें संचालन में सहयोग मिल सकें।

ई. एस, आई, एस, के अन्तर्गत मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है–

6–14 आयु वर्ग के बच्चों को नामांकित करना।

अध्ययनरत एवं शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं की जानकारी प्राप्त करना ।

अध्यापको की जानकारी देना ।

नामांकन, ठहराव एवं शिक्षा समाप्ति की जानकारी लेना।

विद्यालय छात्र अनुपात ,कक्षा कक्ष छात्र अनुपात एवं शिक्षक छात्र अनुपात ज्ञात करना।

विभिन्न हैडस में प्रगति की जानकारी प्रोजेक्ट के अनुसार ज्ञात करना।

सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्ध में लक्ष्यों के अनुसार प्राप्ति दर एवं आकडों का विश्लेशण करना।

समय–समय पर समस्त सूचनाओं का आदिनांक करना जिससे की प्रगति की सही समीक्षा की जा सकें।

योजना प्रबंधन सूचना तन्त्र

1. एक अच्छे नियोजन के लिए
2. व्यूह रचना के अनुश्रवण के लिए
3. प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने हेतु
4. तंत्र में अच्छे कियात्मक कार्य

प्रभावी योजना बनाने हेतु सही एवं समयबद्व सूचना प्राप्त करना एक कठिन एवं जटिल मुद्दा है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु जिला स्तर पर योजना प्रबन्धन सूचना तंत्र (पी,एम,आई,एस,) के द्वारा समस्त सुचनाएँ समय–समय पर एकत्रित की जायेंगी। योजना प्रबन्धन सूचना तंत्र के अन्तर्गत विभिन्न हेड्स के लक्ष्य एवं उनके प्राप्ति के बारे में जानकारी ली जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान में पी,एम,आई,एस के द्वारा उच्च प्रबन्धन को योजना बनवाने एवं उसके कियान्यवयन में सुविधा प्राप्त होगी। इस हेतु पी,एम,आई,एस, के द्वारा समस्त सूचनाएँ एक साथ प्राप्त की जा सकेगी।

सूचना प्रबन्धन तंत्र :– सूचना प्रबन्धन तंत्र को परियोजना से संबंधित विभिन्न प्रकार के डाटा कार्य कलैक्शन व विश्लेषण के अलावा निम्न सूचना तैयार करनी है।

1. पहुँच 2. ठहराव 3. गुणवत्ता से संबंधित बातें तथ्य पूर्ण कियान्वयकन के कार्यक्रम के अनुसार प्रगति की जानकारी मिलती है।

लक्ष्य समूह (एस.सी. एस.टी. ओ.बी.सी.) छात्रों की जानकारी ई.जी.एस./ए.आई.ई. से संबंधित बातों की प्रगति तथा इसके साथ ही एम.आई.एस. निर्णय में सहयोग तंत्र (डिसीजन सपोर्ट सिस्टम) के रूप में भी कार्य करेगा।

डाइस भी एस.एस.ए. को सपोर्ट करने में रीड की हड्डी साबित होगी।

वित्त प्रबन्ध सूचना तंत्र

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सही वित्त प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस कार्य हेतु वित्त प्रबन्धन सूचना तंत्र के द्वारा ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक वित्त सम्बन्धी खर्चे एवं प्राप्ति की जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। डी,पी,ई,पी, द्वारा इस कार्य हेतु एक कम्पयूटर सोफ्टवेयर बनवाया गया है जिसके अन्तर्गत खर्चे, प्राप्तियां ,बजट,एस्टिमेशन ,बजट एलोटमेंट इत्यादि कार्य प्रभावी ढंग से सम्पादित किये जा सकते है।

सर्व शिक्षा अभियान में कोषप्रवाह निम्नानुसार प्रस्तावित है–

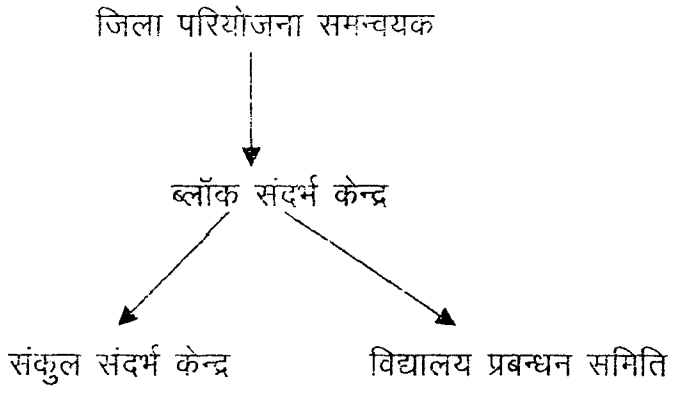

प्रबोधन कार्मिक – प्रभावी प्रबोधन व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर डी,पी,ई,पी, में कार्यरत एम,आई,एस, प्रभारी एवं दो डाटाएन्ट्री ऑपरेटर समस्त कार्य करने हेतु पर्याप्त नहीं है। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला स्तर पर उक्त स्टाफ (एम,आई,एस,प्रभारी एवं दो डाटाएन्ट्री ऑपरेटर) के अतिरिक्त दो कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य संचालय हेतु दिये गये है।

इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर एक एक कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत होंगे।

प्रबोधन संसाधन – सर्वशिक्षा अभियान के प्रभावी प्रबोधन हेतु डी,पी,ई,पी,में उपलब्ध दो कम्प्यूटर सिस्टम के अतिरिक्त दो कम्प्यूटर सिस्टम की जिला स्तर पर आवश्यकता है।

ब्लॉक स्तर पर प्रभावी प्रबोधन हेतु एक–एक कम्प्यूटर सिस्टम की आवश्यकता है।

अध्याय -- 9

प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास

प्रबन्धन शब्द का संबंध न केवल ककऔद्योगिक क्षेत्र मे अपितु शिक्षा के क्षेत्र में भी भरपूर प्रयोग में लाया जा रहा है । प्रबंधन लक्ष्यों को अर्जित करने का प्रभावी माध्यम है । प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में बालक को पूर्णतः शिक्षार्थी के रूप में ही प्रतिस्थापित नहीं करता वरन् बालक में सद्वृतियों का विकास कर अच्छे नागरिक का निर्माण करता है ।वास्तव में समुदाय भी अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता महसूस करता है ताकि विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियां बालक के सर्वतोन्मुखी विकास में सहायक बन सके। प्रबंधन में तीन तथ्य महत्वपूर्ण है :–

उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण

पर्याप्त संसाधन (शिक्षक, शिक्षण विधाएं, भौतिक संसाधन, खेल मैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय) तथा उनका उपयोग ।

सभी गतिविधियों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन। प्रबंधन न केवल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधन उपलब्ध कराता है अपितु लक्ष्यों के अर्जन हेतु कार्मिकों के कार्यों का परिवीक्षण कर यथा स्थान निर्देशन व सुझाव देकर उपलब्धियों एवं कमजोरियों को दूर करने का कार्य भी करता है ।सर्व शिक्षा अभियान में भी विभिन्न स्तरों पर परिवीक्षण की समुचित व्यूह रचना की गई है ।

9.2 जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का कार्यालय है जहां जिला परियोजना समन्वयक सहित सहायक जिला परियोजना समन्वयक, कार्यक्रम सहायक एवं निर्माण कार्य हेतु सहायक व कनिष्ठ अभियंता तथा लेखा संधारण कार्य हेतु सहायक लेखाधिकारी एवं लेखाकार व केशियर कार्यरत है ।

जिला परियोजना समन्वयक

सहायक परियोजना (वै.शि.)

सहायक परियोजना समन्वयक (प्रशिक्षण)

सहायक परियोजना समन्वयक (ई.सी.ई. जैण्डर)

सहायक परियोजना समन्वयक (सामु.गति.)

कार्यक्रम सहायक

सहायक अभियन्ता

कनिष्ठ अभियन्ता

लेखाकार

कैशियर

एम.आई.एस. ईन्चार्ज

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

कार्यालय सहायक

प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास –

एक सहायक परियोजना समन्वयक अधिकारी एवं कार्यक्रम सहायक व एक वरिष्ठ लिपिक या लिपिक का पद अतिरिक्त रहेगा ।

जिला स्तर पर – 5 कमप्यूटर किराये पर (मय ऑपरेटर) प्रत्येक ए.पी.सी. को एक उपलब्ध करवाया जायेगा । डी.पी.सी. का एक कम्पयूटर मय इन्टरनैट सुविधा व घर के लिए एक टेलिफोन तथा एक मोबाईल फोन भी उपलब्ध करवाया जायेगा तथा 1 लाख की फर्नीचर सुविधा व 2 अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध करवाये जायेगें ।

खण्ड स्तर पर – खण्ड संदर्भ केन्द्र को सुदृढीकरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक बी.आर. सी.एफ. पर एक कम्पयूटर मय ऑपेरटर तथा एक अकाउन्टेन्ट व इसके साथ ही टी.वी. व वी. सी.आर./वी.सी.डी. भी उपलब्ध करवाया जायेगा ।

संकुल संदर्भ केन्द्र – प्रत्येक संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी को उसके द्वारा किये गये भ्रमण के लिए अधिकतम 600 रू. या प्रत्येक कि.मी. के लिए 1 रू. दोनो में जो भी कम हो की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी ।

जिला शिक्षा अधिकारी :– जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को सुदृढीकरण प्रदान करने हेतु एक कम्पयूटर मय ऑपरेटर, फैक्स मशीन, फोटो कॉपीयर, की सुविधा प्रदान की जायेगी तथा एक टेलीफोन निवास के लिए भी उपलब्ध करवाया जायेगा ।

ब्लॉक स्तर पर – बी.ई.ई.ओ. कार्यालय हेतु **भी** एक कम्पयूटर मय ऑपरेटर, एक फोटो कॉपीयर व अधिकतम 1000 रू. वाहन भत्ता या **प्रति कि.भी.** व्यय दोनों में जो भी कम हो की सुविधा उपलबध करवाई जायेगी ।

प्रबन्धन तंत्र

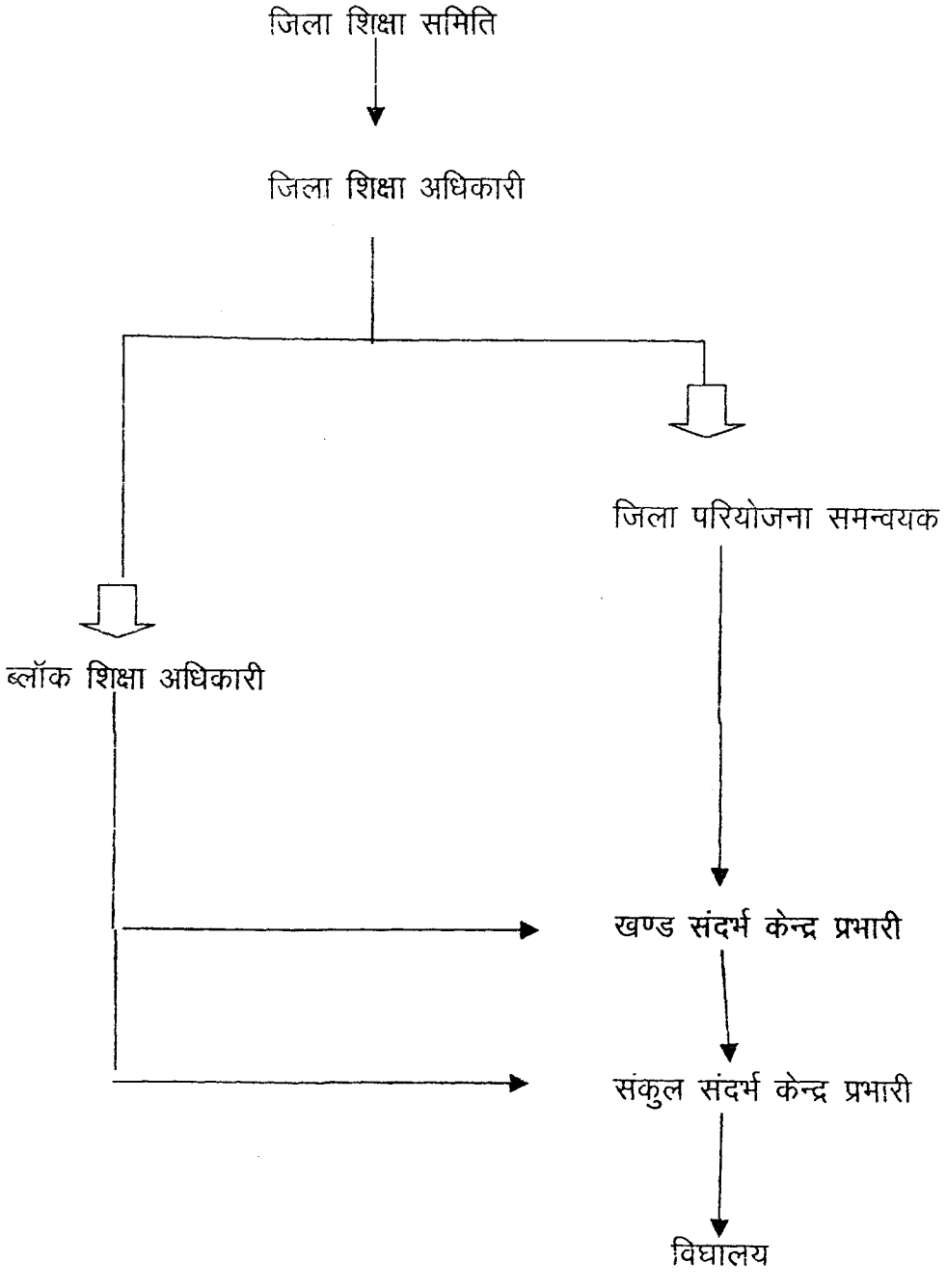

अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) तथा अतिरिक्त ब्लाक प्रा.शि. अधिकारी कार्यरत है जिन पर ब्लॉक की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था एवं परिवीक्षण का दायित्व है ।जिला एवं ब्लॉक कार्यालयों से समन्वय का दायित्व जिला समन्वयक का है। जो शिक्षकों को

प्रशिक्षण,सहायक सामग्री निर्माण एवं भौतिक साधन उपलब्ध कराने हेतु संसाधन उपलब्ध कराता है तथा परिवीक्षण में भी समन्वय रखा जाता है ।

जिला परिषद

जिला प्रमुख

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद्)

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रधान (पंचायत समिति) ब्लॉक स्तर

विकास अधिकारी

सरपंच (ग्राम स्तर)

प्रत्येक जिले में अकादमिक निर्देशन, अनुसंधान एवं शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण तथा विषयवस्तु में दक्षता वृद्वि हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है जो प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्राधीन है ।

डाइट के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं परियोजना के लक्ष्यों हेतु प्रशिक्षण एवं परिवीक्षण में सहभागिता हेतु संस्थान को वाहन उपलब्ध कराना, मशीनरी, मरम्मत एवं रखरखाव हेतु संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं । दूरस्थ शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं अधिकतम उपयोग हेतु डिश ऐन्टीना एवं कैसेट्स दिए गये तथा दैनिक प्रसारण को रिकार्ड कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग किया जा रहा है ।

जिले की आवश्यकताओं की पहचान, स्थानों का निर्धारण एवं योजना निर्माण में जनभागीदारी हेतु जिला स्तर पर शाषीपरिषद् का गठन जिला प्रमुख की अध्यक्षता में किया गया है जिसमें सम्पूर्ण जिले के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकारी एर्जेन्सीज स्वंयसेवी संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है जिसमें निम्न सदस्य है :-

शाषी परिषद(जी.सी.).

जिला प्रमुख (अध्यक्ष)–1

सांसद–3 (1– लोक सभा तथा 2 राज्य सभा)

समस्त विधायक –05

समस्त प्रधान –05

समस्त विकास अधिकारी –05

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् –1

जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक –1

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रा.शि.–1

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी–1

परियोजना निदेशक, महिला बाल विकास–1

समाज कल्याण अधिकारी–1

प्राचार्य डाइट–1

स्वयं सेवी सगठंन प्रतिनिधि–2

अधिशाषी अभियंता जलदाय विभाग –1

सचिव, जिला साक्षरता समिति –1

जिले में निर्मित योजना को कार्यरूप में परिणित करने, बेहतर लक्ष्यों की प्राप्ति एवं समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति (निष्पादक समिति) का गठन किया गया है जिसमें निम्न सदस्य है:–

निष्पादक समिति (ई.सी.)

जिला कलक्टर, अध्यक्ष

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद

प्रधानाचार्य, डाइट

समाज कल्याण अधिकारी

उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास

सचिव, जिला साक्षरता समिति

थ्शिक्षाविद्–दो

स्वंय सेवी संगठन प्रतिनिधि–2

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)

जिला परियोजना समन्वयक, डी.पी.ई.पी.

अधिशाषी अभियन्ता जलदाय विभाग

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

सहायक परियोजना समन्वयक , डी.पी.ई.पी.–3

कार्यक्रम सहायक डी0पी0ई0पी0–3

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.) सदस्य सचिव

जिला सन्दर्भ समूह

जिला परियोजना समन्वयक एवं कार्यकारी व निष्पादक समिति को संबलन प्रदान करने हेतु कार्यकमवार 5 जिला संदर्भ समूह का गठन किया गया है प्रत्येक समूह में 6 सदस्य मनोनीत है ।

जिला निष्पादन समिति वर्ष में चार बार त्रैमासिक बैठकें कर जिला निष्पादन समिति के प्रस्तावों / निर्णयों को कियान्वित करेगी साथ ही विगत तीन माह में की गई गतिविधियों की प्रगति का कम्पोनेंटवार समीक्षा करेगी।

जिला संदर्भ समूह – सर्व शिक्षा अभियान के बौद्धिक एवं अकादमिक पक्ष को व्यवस्थित, नियमित, लोकतांत्रिक एवं संस्थागत स्वरूप प्रदान करने हेतु जिला संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तावित की गई हैं। औपचारिक प्राथमिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, प्रशिक्षण, सिविल कार्य हेतु चार जिला संदर्भ समूह गठित करने एवं इनकी त्रैमासिक बैठकों का प्रावधान प्रस्तावित हैं, प्रत्येक जिला संदर्भ समूह में एक कार्यकम प्रभारी, एक डाईट का संदर्भ व्यक्ति, एक सेवानिवृत शिक्षाविद्, एक अभियन्ता एवं एक योग्य अनुभवी अध्यापक सदस्य होते हैं।

खण्ड संदर्भ केन्द्र :– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत वर्तमान में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर खण्ड संदर्भ केन्द्र संचालित हैं। सर्व शिक्षा अभियान में खण्ड संदर्भ केन्द्र के महत्व को स्वीकार करते हुए उनको मौजूदा स्वरूप में ही चलाने का प्रावधान हैं। खण्ड संदर्भ केन्द्र द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जाने हैं ।

शिक्षकों के प्रशिक्षण – प्रेरण प्रशिक्षण, अभिनवन प्रशिक्षण एवं विषयगत प्रशिक्षण, सेवारत एवं पैरा टीचर हेतु प्रशिक्षण करवाना।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का प्रशिक्षण आयोजित करना।

संकुल प्रभारियों की मासिक बैठक आयोजित करना।

माह में न्यूनतम् एक संकुल का वर्ष में एक बार निरीक्षण करना।

किसी एक संकुल एवं एक संदर्भ व्यक्ति को चयन कर आदर्श संकुल तथा आदर्श संदभ व्यक्ति निर्मित करना।

माह में अपने क्षेत्र के सभी प्रा.विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय/वैकल्पिक विद्यालय /ई.सी. ई. केन्द्र का संकुल संदर्भ व्यक्ति द्वारा अवलोकन करवाना।

समुदाय से सहभागिता स्थापित करना।

जनप्रतिनिधियों एवं ब्लॉक स्तर पर संचालित गैर सरकारी संगठनों से समन्वय स्थापित करना।

जिला परियोजना कार्यालय / डाईट / संकुल केन्द्र तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करवाना।

जिला स्तरीय सूचना तन्त्र को संकुल एवं ब्लॉक की सूचना उपलब्ध करवाना।

शाला प्रबन्धन समितियों को गति प्रदान करना।

वातावरण निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाना।

निर्माण कार्यो की विद्यालय वार सूचना संकलित करना एवं निर्माण कार्यो की सामान्य प्रगति प्राप्त करना।

प्रत्येक खण्ड संदर्भ केन्द्र पर एक खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी, तीन संदर्भ व्यक्ति, एक कैशियर कम टाईपिस्ट, एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, एक लिपिक, एक सहायक कर्मचारी के पद प्रस्तावित किये गये हैं।

9.3 **खण्ड शिक्षा समिति** – ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधियों, प्रारम्भिक शिक्षा से जुड़े अधिकारियों एवं सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े पदाधिकारियों के बीच सार्थक संवाद एवं

रचनात्मक सहयोग की निरन्तरता बनाये रखने हेतु खण्ड शिक्षा समिति के गठन एवं त्रैमासिक बैठकों के आयोजन का प्रावधान हैं। खण्ड शिक्षा समिति में निम्न सदस्य हैं–

ब्लॉक स्तर पर :–

1. प्रधान (अध्यक्ष)

2. ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, ड़ी.पी.ई.पी.(सचिव)

3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

4. पंचायत समिति की शिक्षा समिति के दो सदस्य

5. प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय

विशेष आगन्तुक

6. सी.ड़ी.पी.ओ.

7. ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी

8. सेवानिवृत अध्यापक

त्रैमासिक बैठकों में विगत तीन माह की परियोजना के कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा एवं आगामी तीन माह हेतु होने वाली गतिविधियों हेतु रणनीति तैयार करना तथा लक्ष्य निर्धारित करने हेतु विचार विमर्श किया जायेगा।

संकुल संदर्भ केन्द्र– सर्व शिक्षा अभियान में डी.पी.ई.पी. द्वारा संचालित पूरे जिले में 98 संकुलों को यथा स्थिति स्वीकार किया गया हैं। वर्तमान में पूरे जिले में ब्लॉक वार संकुलों की संख्या निम्नानुसार हैं। प्रत्येक संकुल पर संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी पदस्थापित हैं। इनके वर्तमान स्वरूप को सर्व शिक्षा अभियान में यथावत प्रस्तावित किया गया हैं। संकुल संदर्भ केन्द्र द्वारा निम्न कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं। (वर्तमान में ड़ी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत ये सभी कार्य किये जा रहे हैं)

प्रत्येक विद्यालय का शाला मानचित्रीकरण, सूक्ष्मनियोजन एवं विद्यालय का कैचमेन्ट एरिया निर्धारित करना।

शाला प्रबन्धन समितियों का गठन एवं अभिमुखीकरण।

शिक्षक / पैरा टीचर की मासिक बैठके आयोजित कराना।

ई.सी.ई. प्रेरक / बालिका मंच की त्रैमासिक बैठके आयोजित करना।

संकुल स्तर पर बाल–मेला, कला जत्था एवं महिला बैठकों का आयोजन करवाना।

विद्यालयों में निर्माण कार्यो के लिए भवन निर्माण समितियों का गठन करवाना।

विद्यालयों से नामांकन, ठहराव की मासिक सूचनाऐं प्राप्त कर खण्ड संदर्भ केन्द्र पर पहुंचाना।

ब्लॉक स्तर की संकुल प्रभारियों की मासिक मीटिंग में भाग लेना।

विद्यालयों में शाला सुविधा अनुदान राशि एवं शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु दी गई राशि के प्रभावी उपयोग की सुनिश्चितता करना।

अपने संकुल क्षेत्र के विद्यालयों से निर्माण कार्यो की सूचना प्राप्त करना एवं जारी निर्माण कार्यो की प्रगति / अवरोधों की जानकारी ब्लॉक के कनिष्ठ अभियंता को देना।

विद्यालयों के शैक्षिक सूचनाऐं, मूल्यांकन एवं प्रबोधन संबंधी सूचनाओं को ब्लॉक एवं जिला स्तर पर उपलब्ध करवाना।

प्रति वर्ष प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में कमोन्नत होने वाले विद्यालयों के प्रस्ताव एवं हो चुके विद्यालयों की सूचना ब्लॉक एवं जिला स्तर पर पहुंचाना।

शाला प्रबन्धन समितियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित् करना।

संकुल संदर्भ समूह– प्रत्येक संकुल स्तर पर शिक्षकों एवं संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी को मिलाकर एक संकुल संदर्भ समूह गठित करने का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित

हैं। इसकी मूल अवधारणा एवं कार्य पद्धति डी.पी.ई.पी. से अभिप्रेरित हैं। प्रत्येक संकुल संदर्भ समूह में अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण एवं हिन्दी विषय का एक–एक शिक्षक एवं संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी होता हैं। विषय अध्यापक–सदस्य एवं संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी–संयोजक होता हैं।संकुल संदर्भ समूह का वर्ष में एक बार ब्लॉक स्तर पर अभिमुखीकरण प्रस्तावित हैं। संकुल रतर पर आयोजित शिक्षकों / पैराटीचर की मासिक बैठकों में संकुल संदर्भ समूह समस्त शिक्षकों / पैरा टीचर को बौद्धिक एवं अकादमिक सम्बलन प्रदान करता हैं। दैनिक पाठ योजना, गृह कार्य, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम विभाजन, प्रश्न पत्र निर्माण, शिक्षण अधिगम् सामग्री की उपयोगिता, विषयगत कठिन पाठों को सरल रूप में प्रस्तुत करने की विधा विकसित करने, नामांकन, ठहराव, विद्यालय सौन्दर्यकरण एवं विद्यालयों की वार्षिक योजना निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यो में उत्प्रेरक का कार्य करने हेतु प्रस्तावित किया गया हैं।

शाला प्रबन्धन समिति – प्रत्येक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजीव गांधी पाठ्यशाला स्तर पर डी.पी.ई.पी. द्वारा गठित शाला प्रबन्धन समितियां एवं उनकी कार्य पद्धति को सर्व शिक्षा अभियान में यथावत् स्वीकार किया गया हैं। शाला प्रबन्धन समिति में निम्न सदस्य प्रस्तावित हैं –

सरपंच / वार्ड पंच (अध्यक्ष)

प्र.अ.,प्रा.वि. / उ.प्रा.वि. / रा.गां.स्व.पा. (सचिव)

वार्ड सदस्य – 5 (1 अ.जा.,1 ज.जा., 1 महिला,2 अन्य)

ग्राम सेवक

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

अध्यापक – 2 (प्र.अ द्वारा मनोनीत)

अभिभावक / संरक्षक –2 (प्र.अ द्वारा मनोनीत)

विशेष आगन्तुक

ए.एन.एम.

सेवानिवृत कर्मचारी

10. **सामाजिक कार्यकर्ता**

शाला प्रबन्धन समिति मे कुल सदस्यों का एक तिहाई महिलाओं का होना अपेक्षित हैं। वर्ष में एक बार शाला प्रबन्धन समिति का संकुल स्तर पर अभिमुखीकरण प्रस्तावित हैं। अभिमुखीकरण में निम्न बिन्दुओं पर विशेष चर्चा एवं जानकारी का आदान–प्रदान किया जाना प्रस्तावित हैं–

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की मूल अवधारणा।

नामांकन, ठहराव एवं गुणात्मक अभिवृद्धि पर विशेष बल।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्धेश्य एवं व्यूह रचनाऐं।

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में जन सहभागिता।

जैण्डर संवेदनशीलता।

शाला प्रबन्धन समितियों तथा ई.सी.ई. केन्द्रों द्वारा ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य , पोषण, टीकाकरण एवं छोटे बच्चों की सार–संभाल पर अपनी–अपनी सेवाऐं प्रदान करना।

शाला प्रबन्धन समिति के कार्य :–

ग्राम स्तर पर शाला मानचित्रीकरण, सूक्ष्मनियोजन तथा कैचमेंन्ट एरिया संबंधी कार्य करना।

भवन रहित विद्यालय हेतु भवन की भूमि का चिन्हीकरण, पट्टा प्राप्त करना , भवन निर्माण समिति का गठन एवं सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त राशि से ब्लॉक के कनिष्ठ अभियन्ता के तकनीकी मार्गदर्शन में निर्माण–कार्य करवाना

शाला भवन की मरम्मत, पेयजल सुविधा, विद्यालय सौन्दर्यकरण में सक्रिय सहयोग प्रदान करना।

भवन निर्माण संबंधी सामग्री का क्रय करना एवं तत्संबंधी लेखों का संधारण करना।

शत् प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित् करना।

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दिलवाने के सभी प्रयास एवं सहयोग करना

विद्यालय में सभी शिक्षकों की पूरे समय उपस्थिति सुनिश्चित् करना।

सर्व शिक्षा अभियान में दी गई भवन रख–रखाव राशि 5000/–रूपये विद्यालय अनुदान राशि 2000/–रू. सद्यक्षप्रत्येक शिक्षक को दी जाने वाली राशि 500/–रूपयें के प्रभावी उपयोग की रणनीति बनाना, सामग्री क्रय करना एवं समस्त बिल वाउचर का संधारण एवं केश बुक (रोकड़) का संधारण करना।

विद्यालय स्तर के सांस्कृतिक एवं खेल–कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

गांव के वैकल्पिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र / ई.सी.ई. केन्द्रो के प्रभावी संचालन में सहयोग प्रदान करना।

शिक्षकों को पुरस्कृत करना।

ग्राम स्तर पर महिला मीटिंग एवं संकुल स्तर पर बाल–मेला, कला–जत्था के आयोजन में सक्रिय सहयोग प्रदान करना।

15 अगस्त, 26, जनवरी, 2 अक्टूबर एवं 20 मई को होने वाली ग्राम–सभाओं में शैक्षिक प्रस्तावों को यथा – पैराटीचर / जी.सी.एम. /ई.सी.ई. प्रेरक के चयन संबंधी कार्यवाहीं करना।

विकलांग बालकों की पहचान कर मेडिकल कैम्प में बालकों को भेजना तथा उपकरण दिलवाना।

शाला से वंचित बालकों को जोड़ने के नियमित प्रयास करना।

9.13 **भवन निर्माण समिति** :– विद्यालय स्तर पर निर्माण कार्य करवाने हेतु शाला प्रबन्धन समिति के सहयोग के लिए भवन निर्माण समिति का गठन सर्व शिक्षा अभियान मे डी.पी.ई.पी. की अवधारणा एवं कार्यशैली को यथावत् रूप से स्वीकार किया गया हैं।भवन निर्माण समिति में निम्न सदस्य रखे गये हैं–

वार्ड पंच (अध्यक्ष)

संस्था प्रधान, संबंधित विद्यालय (सचिव)

ग्राम / वार्ड में उपलब्ध निर्माण कार्यो का जानकार कारीगर / मिस्त्री (दो व्यक्ति– सदस्य)

शाला प्रबन्धन समिति से मनोनीत उत्साहित व्यक्ति (सदस्य)।

संस्था प्रधान द्वारा मनोनित संस्था में कार्यरत एक अध्यापक (सदस्य)

भवन निर्माण समिति के वर्ष में एक बार कनिष्ठ अभियन्ता के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर यह प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित हैं। इस प्रशिक्षण में सभी सदस्यों, सचिव एवं अध्यक्ष को निर्माण कार्यो की विस्तृत तकनीकी जानकारी ले–आऊट, निर्माण कार्यो का तखमीना बिन्दूवार स्पष्ट किया जाता हैं। प्रशिक्षण के उपरान्त तय सीमा एवं प्राप्त राशि का निर्माण कार्यो में उपयोग कर पूर्णता के बाद उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना, भवन–निर्माण समिति का कार्य हैं। भवन निर्माण से संबंधित सामग्री यथा–पत्थर, ईट, रेत, सीमेंट, लोहा आदि न्यूनतम् बाजार मूल्यों पर एवं गुणवत्ता युक्त स्तर का क्रय करना तथा मजदूरों एवं कारीगरों की व्यवस्था करना एवं निर्माण से संबंधित बिल वाउचर तथा केश बुक संधारित करना, भवन निर्माण समिति का कार्य हैं। निर्माण का अधूरा रहना, मजदूरों का भुगतान नहीं करना, घटिया सामग्री लगाना तथा घटिया स्तर का निर्माण कार्य करवाने तथा बिना जरूरत के अपने पास नगद धन–राशि रखना तथा लेखा संधारण नहीं करने पर भवन निर्माण समिति पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं ऐसी स्थिति में सर्व शिक्षा अभियान में भवन निर्माण समिति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाहीं करने की पूर्ण स्वीकृति प्रस्तावित की गई हैं।

कोष प्रवाह :– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कोष प्रवाह हेतु सुनिश्चित तंत्र विकसित किया गया हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त धन जो जिलें के विभिन्न गतिविधियों की कियान्विति हेतु दी गई वार्षिक कार्य योजना एवं बजट अनुमोदन पश्चात् ही दी जाती है को

निदेशक, रा.प्रा.शि.प. के बैंक खाते में जमा करने का प्रावधान हैं। निदेशालय स्तर से जिला परियोजना समन्वयक के खाते में चैक द्वारा धन राशि जमा होती हैं। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अपनी मासिक / दैनिक गतिविधियों हेतु राशि आहरित कर खण्ड संदर्भ केन्द्र / संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारियों के खाते में स्थानान्तरित करदी जाती है। खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी / संकुल केन्द्र प्रभारी द्वारा एस.एम.सी. सीधे संबंधित व्यक्ति को राशि चैक द्वारा दी जाती हैं।

अध्याय – 10

निर्माण कार्य

भूमिका :– समस्त निर्माण जो कि राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं राजीव गांधी पाठशालाओं शिक्षाकर्मी विद्यालयों एवं वैकल्पिक विद्यालय जो कि प्राथमिक विद्यालयों में बदलेगें, के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किये जाने है ।

प्रारम्भिक शिक्षा में ढांचागत सुविधाओं का विकास की कार्ययोजना एवं प्रकिया का इस अध्याय में उल्लेख किया गया है । प्रारम्भिक शिक्षा की शिक्षण संस्थाओं में आधारभूत सुविधाओं का अभाव प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की पूर्ति में सबसे बड़ा बाधक तत्व है । अतः निर्माण कार्यो से भौतिक सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। सर्व शिक्षा अभियान में 33 प्रतिशत राशि निर्माण कार्यो पर व्यय की जाएगी। इससे अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति जनसहयोग एवं अन्य संस्थाओं से सहयोग लेकर की जाएगी ।

विद्यालय भवनो का निर्माण :–

विद्यालय भवन निर्माण (2 कमरे) :– वर्तमान में भवन रहित प्राथमिक विद्यालयों शिक्षाकर्मी विद्यालयों एवं वैकल्पिक विद्यालयों एवं रा.गांधी पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत भवन निर्माण का प्रावधान रखा गया है जिसमें 2 कमरे निर्मित किये जायेगें। इसके तहत वर्ष 2003–04 में 10 विद्यालयों के लिए 25.6 लाख, वर्ष 2004–05 में 16 विद्यालयों के लिए 40.96 लाख वर्ष 2005–06 में 20 विद्यालयों के लिए 51.20 लाख एवं वर्ष 2006–07 में 20 विद्यालयों के लिए 51.20 लाख रूपये खर्च का प्रावधान किया गया है।

विद्यालय भवन निर्माण (3 कमरे) :– वर्तमान में भवन रहित उच्च प्राथमिक विद्यालयों प्रा. विद्यालयों एवं रा.गांधी पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत भवन निर्माण का प्रावधान रखा गया है जिसमें 3 कमरे निर्मित किये जायेगें। इसके तहत वर्ष

2003–04 से 2006–07 तक 103 विद्यालयों के लिए 370.8 लाख रूपये खर्च का प्रावधान किया गया है।

अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण :– उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण हेतु वर्ष 2003–04 में 50 अति.कक्षा कक्ष निर्माण के लिए 60 लाख, वर्ष 2004–05 में 100 अति. कक्षा कक्ष निर्माण के लिए 120 लाख, वर्ष 2005–06 में 125 अति.कक्षा कक्ष निर्माण के लिए 150 लाख, एवं वर्ष 2006–07 में 150 अति.कक्षा कक्ष निर्माण के लिए 180 लाख रूपये खर्च का प्रावधान किया गया है।

शौचालय निर्माण :– वर्तमान में भवन रहित प्राथमिक विद्यालयों शिक्षाकर्मी विद्यालयों एवं वैकल्पिक विद्यालयों एवं रा.गांधी पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत शौचालय निर्माण का प्रावधान रखा गया है इसके तहत वर्ष 2003–04 में 86 शौचालयों के निर्माण के लिए 8.6 लाख, वर्ष 2004–05 में 100 शौचालयों के निर्माण के लिए 10 लाख, वर्ष 2005–06 में 100 शौचालयों के निर्माण के लिए 10 लाख, एवं वर्ष 2006–07 में 100 शौचालयों के निर्माण के लिए 10 लाख रूपये खर्च का प्रावधान किया गया है।

हैण्डपम्प स्थापना :– वर्तमान में भवन रहित प्राथमिक विद्यालयों शिक्षाकर्मी विद्यालयों एवं वैकल्पिक विद्यालयों एवं रा.गांधी पाठशालाओं हैण्डपम्प स्थापना कार्य हेतु सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत प्रावधान रखा गया है वर्ष 2003–04 में 20 हैण्डपम्पों के लिए 10 लाख वर्ष 2004–05 में 50 हैण्डपम्पों के लिए 25 लाख वर्ष 2005–06 में 100 हैण्डपम्पों के लिए 50 लाख एवं वर्ष 2006–07 में 100 हैण्डपम्पों के लिए 50 लाख का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें कुल लागत 135 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है ।

चारदिवारी निर्माण :– वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों शिक्षाकर्मी विद्यालयों एवं वैकल्पिक विद्यालयों एवं रा.गांधी पाठशालाओं के चारदीवारी निर्माण हेतु सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत

प्रावधान रखा गया है वर्ष 2003–04 में चारदीवारी निर्माण के लिए 50 लाख वर्ष 2004–05 में चारदीवारी निर्माण के लिए 50 लाख वर्ष 2005–06 में चारदीवारी निर्माण के लिए 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है एवं वर्ष 2006–07 में 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है ।

लघु मरम्मत :– वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों शिक्षाकर्मी विद्यालयों एवं वैकल्पिक विद्यालयों एवं रा.गांधी पाठशालाओं के लघु मरम्मत हेतु सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत प्रावधान रखा गया है वर्ष 2003–04 में 25 लघु मरम्मत कार्य के लिए 3.125 लाख वर्ष 2004–05 में 50 लघु मरम्मत कार्य के लिए 6.25 लाख वर्ष 2005–06 में 50 लघु मरम्मत कार्य के लिए 6.25 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है एवं वर्ष 2006–07 में 50 लघु मरम्मत कार्य के लिए 6.25 लाख का प्रावधान किया गया है ।

दीर्घ मरम्मत :– वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों शिक्षाकर्मी विद्यालयों एवं वैकल्पिक विद्यालयों एवं रा.गांधी पाठशालाओं के दीर्घ मरम्मत हेतु सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत प्रावधान रखा गया है वर्ष 2003–04 में 25 दीर्घ मरम्मत कार्य के लिए 6.25 लाख वर्ष 2004–05 में 50 दीर्घ मरम्मत कार्य के लिए 12.5 लाख वर्ष 2005–06 में 50 दीर्घ मरम्मत कार्य के लिए 12.5 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है एवं वर्ष 2006–07 में 50 लघु मरम्मत कार्य के लिए 12.5 लाख का प्रावधान किया गया है ।

विद्यालयों के लिए खेलकूद संसाधन :– वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों शिक्षाकर्मी विद्यालयों एवं वैकल्पिक विद्यालयों एवं रा.गांधी पाठशालाओं के खेलकूद संसाधनों हेतु सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत प्रावधान रखा गया है वर्ष 2003–04 में 50 खेलकूद संसाधन कार्य के लिए 12.5 लाख वर्ष 2004–05 में 150 खेलकूद संसाधन कार्य के लिए 37.5 लाख वर्ष 2005–06 में

150 खेलकूद संसाधन कार्य के लिए 37.5 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है एवं वर्ष 2006–07 में 150 खेलकूद संसाधन कार्य के लिए 37.5 लाख का प्रावधान किया गया है।

उ.प्रा.वि.में प्रधानाध्यापक कक्ष :– उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक कक्ष निर्माण कार्य हेतु सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत प्रावधान रखा गया है वर्ष 2003–04 में 25 प्रधानाध्यापक कक्ष निर्माण के लिए 12.5 लाख वर्ष 2004–05 में 50 प्रधानाध्यापक कक्ष के लिए 25 लाख वर्ष 2005–06 में 50 प्रधानाध्यापक कक्ष के लिए 25 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है एवं वर्ष 2006–07 में 98 प्रधानाध्यापक कक्ष के लिए 49 लाख का प्रावधान किया गया है ।

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**								
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher								
		Ist Year	Number	0.18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**								
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	18969	160.288		0.000	18969	160.288
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**								
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	39	19.500		0.000	39	19.500
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	39	35.100	0	0.000	39	35.100
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	24	28.800	63	75.600	87	104.400
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	39	24.570	0	0.000	39	24.570
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	48	40.320	150	126.000	198	166.320
4		**Class Room**								
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	50	60.000		0.000	50	60.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	25	12.500		0.000	25	12.500
5		**Free Text Book**								
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	8000	8.000		0.000	8000	8.000
6		**Civil Work**								
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	10	25.600		0.000	10	25.600
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	24	86.400		0.000	24	86.400
	6.3	Toilets	Number	0.1	86	8.600		0.000	86	8.600
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	20	10.000		0.000	20	10.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000		0.000	1	50.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	25	3.125		0.000	25	3.125
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	25	6.250		0.000	25	6.250
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500		0.000	50	12.500
7		**Maintinance & Repairs**								
	7.1	Primary School	Number	0.05	702	35.100		0.000	702	35.100
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	315	15.750		0.000	315	15.750
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**								
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	35	3.500		0.000	35	3.500
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	35	22.050	35	22.050	70	44.100

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84	0	0.000	35	29.400	35	29.400
	8.3	Honorarium of Para Teacher								
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	35	4.725	0	0.000	35	4.725
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204	0	0.000	35	7.140	35	7.140
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
10		**School Grant**								
	10.1	Primary School	Number	0.02	702	0.000	0	0.000	702	0.000
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	315	6.300	0	0.000	315	6.300
11		**Teachers Grant**								
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005		0.000			0	0.000
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2734	13.670	213	1.065	2947	14.735
12		**Teachers Training**								
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014		0.000			0	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	2734	0.000	213	2.982	2947	2.982
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	35	0.735	35	0.735	70	1.470
14		**Training for Community Leaders**								
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2520	1.512	0	0.000	2520	1.512
15		**Provision for Disabled Children**			0	0.000			0	0.000
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	337	4.044		0.000	337	4.044
16		**Research, Evailuation, Supervision & Monitoring**								
	16.1	Primary School	Number	0.014	702	9.828	0	0.000	702	9.828
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014		0.000	0	0.000	0	0.000
17		**Management Cost**								
	17.1	*District Project Office*			0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	2	1	5.000		0.000	1	5.000
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***								
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	17.3	***BRCF Office***								
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	6	6.480		0.000	6	6.480
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	6	3.600	0	0.000	6	3.600
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	6	2.880	0	0.000	6	2.880
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***								
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	6	5.100		0.000	6	5.100
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	6	0.720		0.000	6	0.720
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	6	0.600		0.000	6	0.600
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	6	5.040		0.000	6	5.040
	17.5	***CRCF Office***								
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000		0.000	1	50.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**								
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	6	0.750		0.000	6	0.750
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	6	0.360		0.000	6	0.360
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	6	0.300		0.000	6	0.300
	19.2	**Cluster Resource Center**								
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	98	2.450		0.000	98	2.450
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	98	2.352		0.000	98	2.352
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	98	0.980		0.000	98	0.980
20		**Interventions for Out of School Children**								
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	3000	25.350		0.000	3000	25.350
21		**Community Mobilisation**								
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	315	3.150	0	0.000	315	3.150
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

DISTRCT: Tonk

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	231	4.620		0.000	231	4.620
		Grand Total				**838.679**		**264.972**		**1103.651**
		Total of Civil work				274.975		0.000		274.975
		% of Civil works				32.79		0.00		24.92
		Total of Management				26.440		0.000		26.440
		% of Management				3.15		0.00		2.40

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**												
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher												
		Ist Year	Number	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204		0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228		0		0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252		0		0		0	0	0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**												
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	18969	160.288	17117	144.63865	15173	128.21185	12132	102.515	63391	535.654
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**			39		0		8		32		79	
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	39	19.500	0	0.000	8	4.000	32	16.000	79	39.500
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	39	35.100	0	0.000	8	7.200	32	28.800	79	71.100
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	24	28.800	63	75.600	63	75.600	71	85.200	221	265.200
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	39	24.570	0	0.000	8	5.040	32	20.160	79	49.770
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	48	40.320	150	126.000	189	158.760	205	172.200	592	497.280
4		**Class Room**												
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	50	60.000	100	120.000	125	150.000	150	180.000	425	510.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	25	12.500	50	25.000	50	25.000	98	49.000	223	111.500
5		**Free Text Book**												
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	8000	8.000	8200	8.200	8400	8.400	8600	8.600	33200	33.200
6		**Civil Work**												
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	10	25.600	16	40.960	20	51.200	20	51.200	66	168.960
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	24	86.400	39	140.400	8	28.800	32	115.200	103	370.800
	6.3	Toilets	Number	0.1	86	8.600	100	10.000	100	10.000	100	10.000	386	38.600
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	20	10.000	50	25.000	100	50.000	100	50.000	270	135.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.6	Ramps	Number	0.2		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	25	3.125	50	6.250	50	6.250	50	6.250	175	21.875
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	25	6.250	50	12.500	50	12.500	50	12.500	175	43.750
	6:11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500	150	37.500	150	37.500	150	37.500	500	125.000
7		**Maintinance & Repairs**												
	7.1	Primary School	Number	0.05	702	35.100	698	34.900	733	36.650	822	41.100	2955	147.750
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	315	15.750	354	17.700	354	17.700	362	18.100	1385	69.250
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**			35		35		97		35		202	
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	35	3.500	35	3.500	97	9.700	35	3.500	202	20.200
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	35	22.050	35	22.050	97	61.110	35	22.050	202	127.260
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84		0.000	35	29.400	70	58.800	167	140.280	272	228.480

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	8.3	Honorarium of Para Teacher												
	8.3.1	Ist Year	Number	0.135	35	4.725	35	4.725	97	13.095	35	4.725	202	27.270
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204		0.000	35	7.140	35	7.140	97	19.788	167	34.068
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228		0.000	0	0.000	35	7.980	35	7.980	70	15.960
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252		0.000		0.000	0	0.000	35	8.820	35	8.820
10		**School Grant**												
	10.1	Primary School	Number	0.02	702		698		733	14.660	822	16.440	2955	31.100
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	315	6.300	354	7.080	354	7.080	362	7.240	1385	27.700
11		**Teachers Grant**												
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	2093		2163		2357	11.785	2427	12.135	9040	23.920
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2734	13.670	2797	13.985	2852	14.260	2924	14.620	11307	56.535
12		**Teachers Training**												
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	2058		2093		2190		2225		8566	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	2734		2797	39.158	2852	39.928	2924	40.936	11307	120.022
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042		0.000	260	10.920		0.000		0.000	260	10.920
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	35	0.735	70	1.470	167	3.507	202	4.242	474	9.954
14		**Training for Community Leaders**												
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2520	1.512	2832	1.699	2832	1.699	2896	1.738	11080	6.648
15		**Provision for Disabled Children**												
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	337	4.044	377	4.524	1755	21.060	1755	21.060	4224	50.688
16		**Research, Evalination, Supervision & Monitoring**												
	16.1	Primary School	Number	0.014	702	9.828	698	9.772	733	10.262	822	11.508	2955	41.370
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	315		354	4.956	354	4.956	362	5.068	1385	14.980
17		**Management Cost**												
	17.1	***District Project Office***												
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		0.000	1	2.400	1	2.400	1	2.400	3	7.200
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04		0.000	4	8.160	4	8.160	4	8.160	12	24.480
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44		0.000	3	4.320	3	4.320	3	4.320	9	12.960
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8		0.000	1	1.800	1	1.800	1	1.800	3	5.400
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		0.000	1	1.680	1	1.680	1	1.680	3	5.040
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2		0.000	1	1.200	1	1.200	1	1.200	3	3.600
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0.000	1	0.600	1	0.600	1	0.600	3	1.800
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48		0.000	4	1.920		0.000		0.000	4	1.920
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306		0.000	3	0.918	3	0.918	3	0.918	9	2.754
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		0.000	1	0.306	1	0.306	1	0.306	3	0.918
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	8	12.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000		0.000		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		0.000	5	4.200	5	4.200	5	4.200	15	12.600
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000		0.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	5	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	4	20.000
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***												
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000		0.000		0.000	1	1.100

[illegible] HA [illegible] YA [illegible] 2003-[illegible]

DISTRICT : TONK

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	17.3	***BRCF Office***												
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96		0.000	6	5.880	6	11.760	6	11.760	18	29.400
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44		0.000	18	12.960	18	25.920	18	25.920	54	64.800
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44		0.000	6	4.320	6	8.640	6	8.640	18	21.600
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	6	6.480	6	6.480	6	6.480	6	6.480	24	25.920
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	6	3.600	6	3.600	6	3.600	6	3.600	24	14.400
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	6	2.880	6	2.880	6	2.880	6	2.880	24	11.520
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306		0.000	6	0.918	6	1.836		0.000	12	2.754
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***												
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	6	5.100		0.000		0.000		0.000	6	5.100
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	6	0.720	6	0.720	6	0.720	6	0.720	24	2.880
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	6	0.600	6	0.600	6	0.600	6	0.600	24	2.400
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	6	5.040	6	5.040	6	5.040	6	5.040	24	20.160
	17.5	***CRCF Office***												
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2		0.000	98	58.800	98	117.600	98	58.800	294	235.200
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**												
	19.1.1	*Furniture*	Lumpsum	1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	6	0.750	6	0.750	6	0.750	6	0.750	24	3.000
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	6	0.360	6	0.360	6	0.360	6	0.360	24	1.440
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	6	0.300	6	0.300	6	0.300	6	0.300	24	1.200
	19.2	**Cluster Resource Center**												
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	98	2.450	98	2.450	98	2.450	98	2.450	392	9.800
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	98	2.352	98	2.352	98	2.352	98	2.352	392	9.408
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	98	0.980	98	0.980	98	0.980	98	0.980	392	3.920
20		**Interventions for Out of School Children**												
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	3000	25.350	2500	21.125	2000	16.900	1500	12.675	9000	76.050
21		**Community Mobilisation**												
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	315	3.150	354	3.540		0.000		0.000	669	6.690
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	231	4.620	231	4.620	231	4.620	231	4.620	924	18.480
		Grand Total				**838.679**		**1262.787**		**1450.786**		**1632.546**		**5184.798**
		Total of Civil work				274.975		467.610		421.250		561.650		1725.485
		% of Civil works				32.79		37.03		29.04		34.40		33.28
		Total of Management				26.440		45.244		43.324		43.324		158.332
		% of Management				3.15		3.58		2.99		2.65		3.05

DOC, No.